



Central Zoo Authority
केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण




वार्षिक प्रतिवेदन 2021 - 2022



केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ॥
नई दिल्ली



श्री भूपेंद्र यादव
माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री



श्री अश्विनी कुमार चौबे
माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

सदस्य सचिव की ओर से

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना भारत सरकार के द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधान में फरवरी, 1992 को की गई थी। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य देश में चिड़ियाघरों के कार्य पद्धति की देख-रेख एवं उनको तकनीकी सहायता प्रदान करना और उन्हें निर्धारित मानकों तक पहुँचाने में अन्य सहयोग देना है।

अधिनियम और चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 (2013 में संशोधित) के मौजूदा प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण वन्यजीवों के आवास के मानकों एवं मानदंडों को निर्दिष्ट करने, रख-रखाव एवं स्वास्थ्य देखभाल, विकास कार्यों एवं संरक्षण प्रजनन हेतु वित्तीय एवं तकनीकी सहायता, वन्यजीव विनिमय, चिड़ियाघर कर्मियों की क्षमता निर्माण, अनुसंधान एवं निगरानी, सामयिक मूल्यांकन और चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान करने जैसे वैधानिक कार्य करता है।

प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, दस सदस्य और एक सदस्य सचिव होते हैं। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने 'वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38सी के तहत सौंपे गए कार्यों के प्रदर्शन' में सहायता के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया है। प्रशासनिक समिति, तकनीकी समिति और चिड़ियाघर संकल्पना पर विशेषज्ञ समूह केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के नियमित घटक हैं। इन समितियों के कार्यों को शासी निकाय यानी केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भारत सरकार द्वारा की जाती है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में सदस्य सचिव द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

वार्षिक प्रतिवेदन का प्रकाशन एक अनिवार्य आवश्यकता है और केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की एक औपचारिक प्रथा है। वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा की गई गतिविधियों की एक झलक प्रदान करता है।

अब यह संतुष्टि और उपलब्धि की भावना के साथ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखापरीक्षित खाता जैसा कि पहले ही तकनीकी समिति और प्रशासनिक समिति द्वारा अनुशासित किया गया था और केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के समक्ष रखा गया था, माननीय संसद सदस्यों के समक्ष अवलोकन एवं केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को अपना मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। इसे चिड़ियाघरों में भी परिचालित किया जाता है और आम जनता के लाभ हेतु सार्वजनिक डोमेन में रखा जाता है।

मैं केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अधिशासी निकाय एवं केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की विभिन्न समितियों के विशेषज्ञ सदस्यों के मार्गदर्शन को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करता हूँ। मैं केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार करने में प्रतिबद्धता और योगदान एवं सहायता को भी स्वीकार करता हूँ।

डॉ. संजय कुमार शुक्ला
सदस्य सचिव
केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण

अवयव

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1	प्रस्तावना	1
1.1	दृष्टि	1
1.2	लक्ष्य	1
1.3	उद्देश्य	1
1.4	कार्य	2
2	शासन	3
2.1	अधिकासी निकाय	4
2.2	प्रशासनिक समिति	6
2.3	तकनीकी समिति	7
2.4	चिड़ियाघर संकल्पना संबंधी विशेषज्ञ समूह	9
3	केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का पुनर्गठन	10
4	केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के कार्य	11
4.1	चिड़ियाघरों का तकनीकी मूल्यांकन एवं मान्यता प्रदान करना	11
4.2	31.03.2022 तक मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों की सूची	15
4.3	केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के काम-काज में पारदर्शिता	21
4.4	संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	21
4.5	केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों के बीच वन्यजीवों का विनिमय/ स्थानांतरण	24
4.5.1	भारतीय चिड़ियाघरों के मध्य कैप्टिव वन्यजीवों का विनिमय	24
4.5.2	भारतीय एवं विदेशी चिड़ियाघरों के मध्य विनिमय प्रस्ताव	34
4.5.3	रेस्क्यूड वन्यजीवों को चिड़ियाघरों में रखने की अनुमति	36
4.5.4	भारतीय चिड़ियाघरों से/अथवा को वन्यजीवों का स्थानांतरण प्रस्ताव	38
4.6	वंशावली पुस्तक (स्टडबुक) का रख-रखाव	39
4.7	चिड़ियाघरों की उन्नत योजना प्रक्रिया	40
4.7.1	मास्टर प्लान	40
4.7.2	मास्टर (ले-आउट) प्लान	40
4.8	उपयोगिता प्रमाणक	41
5.	मानव संसाधन विकास	41
5.1	प्रशिक्षण, संगोष्ठी एवं कार्यशाला	41
5.3	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	42
6.	अनुसंधान एवं शिक्षा	43

7.	प्रकाशन	45
8.	नीतिगत मामले	46
9.	वित्तीय सहायता	47
9.1	चिड़ियाघरों में सुधार	47
9.2	बचाव केंद्रों को जारी अनुदान	51
10.	वार्षिक लेखा एवं लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन	52
अनुलग्नक - I अनुसूचियों सहित वार्षिक लेखा-परीक्षा और वित्तीय विवरण		53
अनुलग्नक - II नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से अलग से प्राप्त लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन		87

1. प्रस्तावना

भारतीय वन्यजीव मंडल ने देश में चिड़ियाघरों की स्थापना एवं रख-रखाव के लिए विस्तृत अध्ययन करने हेतु 18 नवंबर, 1972 को नई दिल्ली में आयोजित अपने नौवें सत्र में 'चिड़ियाघर संबंधी विशेषज्ञ समूह' के रूप में अपने चिड़ियाघर खण्ड का पुनर्गठन किया। चिड़ियाघर संबंधी विशेषज्ञ समूह ने अपना प्रतिवेदन जून, 1973 में प्रस्तुत किया जिसे मंडल द्वारा नवंबर, 1973 की बैठक में स्वीकार किया गया था। प्रतिवेदन में एक केंद्रीय अभिकरण (चिड़ियाघर अनुदान आयोग) स्थापित करने की अनुशंसा की गई, और इस अनुशंसा को लागू करने हेतु, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को वर्ष 1991 में एक संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था। भारत में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना हेतु वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में एक पृथक अध्याय, धारा 38ए-38जे युक्त अध्याय IVए का समायोजन किया गया था। तदनुसार, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय के रूप में भारत सरकार द्वारा वर्ष 1992 में भारत में चिड़ियाघरों के कामकाज की निगरानी करने और उन्हें चिड़ियाघर में वन्यजीवों की देखभाल के मौजूदा मानकों को बढ़ाने के अलावा तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु की गई।

1.1 दृष्टि

चिड़ियाघर में पारिस्थितिक तंत्र आधारित प्राकृतिक बाड़ों में स्वस्थ वन्यजीव होंगे, जो सक्षम एवं अनुभवी कर्मचारी, अच्छे शिक्षण एवं व्याख्यात्मक सुविधाओं, लोगों के समर्थन एवं स्व-दक्षता के साथ *इन-सीटू* एवं *एक्स-सीटू* संरक्षण में सहायक होंगे।

1.2 लक्ष्य

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का लक्ष्य भारत में चिड़ियाघरों में रखे गए वन्यजीवों को बेहतर देखभाल एवं पशु-चिकित्सा देखभाल प्रदान करना और लोगों के बीच प्रबंधन, शिक्षा और जागरूकता पैदा करने की सर्वोत्तम प्रथाओं के माध्यम से उनका संरक्षण सुनिश्चित करना है।

1.3 उद्देश्य

मुख्य उद्देश्य है:-

- अ. भारतीय चिड़ियाघरों में वन्यजीवों के रख-रखाव और स्वास्थ्य देखभाल हेतु न्यूनतम मानकों और मानदण्डों को लागू करना और
- ब. तेजी से बढ़ते अनियोजित एवं बदहाल चिड़ियाघरों को नियंत्रित करना।

1.4 कार्य

भारत में चिड़ियाघरों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अधीन विनियमित किया जाता है और राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति, 1998 द्वारा निर्देशित किया जाता है। भारत सरकार ने चिड़ियाघर मान्यता नियम, 1992 बनाया। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की सिफारिश पर इसे चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 के रूप में संशोधित किया गया था। ये नियम देश में चिड़ियाघरों के प्रबंधन के लिए मानक एवं मानदंड निर्धारित करते हैं। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण देश में चिड़ियाघरों के कामकाज की निगरानी करता है तथा उनमें सुधार लाने हेतु तकनीकी एवं अन्य सहायता प्रदान करता है।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38सी के तहत प्राधिकरण को सौंपे गए कार्य निम्नलिखित हैं:—

- (i) चिड़ियाघरों में रखे गए वन्यजीवों के आवास, रख-रखाव एवं चिकित्सा देख-भाल के लिए न्यूनतम मानकों को निर्दिष्ट करना;
- (ii) निर्धारित मानकों एवं मानदंडों के अनुसार चिड़ियाघरों के कामकाज का मूल्यांकन एवं निर्धारण करना;
- (iii) चिड़ियाघरों को मान्यता देना या उनकी मान्यता रद्द करना;
- (iv) विलुप्त हो रही वन्यजीवों की प्रजातियों के कैप्टिव प्रजनन हेतु उनकी पहचान करना तथा इस संबंध में चिड़ियाघर को ज़िम्मेदारी सौंपना;
- (v) प्रजनन के उद्देश्य से वन्यजीवों का अधिग्रहण, विनिमय एवं उधार देने में समन्वय स्थापित करना;
- (vi) कैप्टिविटी में प्रजनित वन्यजीवों की विलुप्त प्रजातियों की वंशावली पुस्तक (स्टडबुक) का रख-रखाव सुनिश्चित करना;
- (vii) चिड़ियाघरों में कैप्टिव वन्यजीवों के प्रदर्शन के संबंध में प्राथमिकताओं एवं मुद्दों की पहचान करना;
- (viii) भारत और भारत के बाहर चिड़ियाघर कर्मियों के प्रशिक्षण का समन्वय करना;
- (ix) चिड़ियाघरों के प्रयोजनों के लिए कैप्टिव प्रजनन एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों में अनुसंधान समन्वय करना;
- (x) चिड़ियाघरों को वैज्ञानिक आधार पर उनके समुचित प्रबंधन और विकास के लिए तकनीकी एवं अन्य सहायता प्रदान करना;
- (xi) ऐसे अन्य कार्य करना जो चिड़ियाघरों के संबंध में इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु आवश्यक हो।

2. शासन

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण प्रतिष्ठान में सदस्य सचिव को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने हेतु वैज्ञानिक और प्रशासनिक कर्मी शामिल हैं। वे नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्त/कार्यरत हैं।

निम्नलिखित अधिकारी और कर्मचारी केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में स्थायी आधार पर कार्यरत हैं:-

क्र.	पद का नाम	पदधारी का नाम	वेतन बैंड/ वेतन (राशि ₹ में)
1.	सदस्य सचिव	डॉ. संजय कुमार शुक्ला (01.03.2022 से) डॉ. एस.पी. यादव (28.02.2022 तक)	1,82,200—2,24,100 (वेतन स्तर —15)
2.	वन उप-महानिरीक्षक	श्रीमती आकांक्षा महाजन (25.12.2021 से) डॉ. सोनाली घोष (14.12.2021 तक)	1,44,200—2,18,800 (वेतन स्तर—13ए)
3.	वित्त अधिकारी	श्री आर. एस. रावत	56,100—1,67,800 (वेतन स्तर—10)
4.	निजी सचिव	प्रतिनियुक्त पर (03.03.2019 से)	47,600—1,51,100 (वेतन स्तर —8)
5.	ऑफ़िस प्रसंस्करण सहायक	श्री विवेक गोयल	44,900—1,42,900 (वेतन स्तर—8)
6.	वैयक्तिक सहायक	श्रीमती नीति गुलाटी	44,900—1,42,900 (वेतन स्तर—8)
7.	लेखाकार	श्री सुरेश शर्मा	35,400—1,12,400 (वेतन स्तर —6)
8.	मूल्यांकन एवं निगरानी सहायक	श्री टी.अजय कुमार	35,400—1,12,400 (वेतन स्तर —6)
9.	तकनीकी सहायक	श्रीमती नताशा एस. वशिष्ठ	29,200—92,300 (वेतन स्तर—5)
10.	स्टाफ कार चालक	श्री हरी सिंह भण्डारी	29,200—92,300 (वेतन स्तर—5)
11.	उच्च श्रेणी लिपिक	रिक्त	25,500—81,100 (वेतन स्तर—4)
12.	अवर श्रेणी लिपिक	श्री ठाकुर दास	21,700—69,100 (वेतन स्तर—3)
13.	बहु-कार्य कर्मचारी	श्री प्रमोद कुमार झा	21,700—69,100 (वेतन स्तर—3)
14.	बहु-कार्य कर्मचारी	श्री गोपाल स्वामी	19,900—63,200 (वेतन स्तर—2)

निम्नलिखित पदों पर आउटसोर्स के आधार पर नियुक्तियाँ की गई हैं:—

क्र. सं.	पद का नाम	कर्मियों की संख्या
1.	मूल्यांकन एवं निगरानी अधिकारी	एक
2.	वैज्ञानिक अधिकारी	एक
3.	विधि अधिकारी	एक
4.	पशु-चिकित्सा सलाहकार	एक
5.	नीति सहायक	एक
6.	कार्यालय सहायक	एक
7.	सूचना प्रौद्योगिकी सहायक	एक
8.	वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता	एक
9.	बहु-कार्य कर्मचारी	एक
10.	वन उप-महानिरीक्षक का निजी सचिव	एक
11.	संरक्षण संकल्पना प्रशिक्षु	एक
12.	सफाईकर्मी	एक

2.1 अधिशासी निकाय

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ए के तहत केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, सदस्य जिनकी संख्या दस से अधिक न हो और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य-सचिव शामिल होंगे। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38बी के अनुसार अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य [सदस्य सचिव के अलावा] ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेंगे, जो तीन साल से अधिक न हो, जैसा कि इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ए के प्रावधानों के अन्तर्गत, प्राधिकरण का पुनर्गठन राजपत्र अधिसूचना क्र. 1906, दिनांक 30 जून, 2020 [अधिसूचना एस.ओ. 2152(ई), दिनांक 30 जून, 2020] के द्वारा तीन वर्ष हेतु जून, 2020 में किया गया। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अधिशासी निकाय में माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार, पदेन अध्यक्ष सहित निम्नलिखित बारह सदस्य शामिल हैं:—

1.	मंत्री पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	सचिव, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य

3.	वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
4.	अपर वन महानिदेशक (वन्यजीव) एवं निदेशक, वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
5.	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
6.	निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून, उत्तराखण्ड	सदस्य
7.	निदेशक, भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली, उत्तर प्रदेश	सदस्य
8.	निदेशक, योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली	सदस्य
9.	श्री कार्तिकेयन वासुदेवन, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक, लेबोरेट्री फॉर कंजर्वेशन ऑफ इनडेंजर्ड स्पीसीज़, सेंटर फॉर सेल्युलर एवं मॉलीकुलर बायोलोजी, हैदराबाद, तेलंगाना	सदस्य
10.	श्री अभिलाष खांडेकर, वरिष्ठ पत्रकार, भोपाल, मध्य प्रदेश	सदस्य
11.	श्री रबिन्द्र कुमार सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख (सेवानिवृत्त), रायपुर, छत्तीसगढ़	सदस्य
12.	सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	सदस्य सचिव

सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 38^{वीं} बैठक 16 नवम्बर, 2021 को आयोजित की गई थी।

2.2 प्रशासनिक समिति

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38-डी(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और आदेश मि. संख्या 7-4/2017-के.चि.प्रा./1190/2017, दिनांक 30.06.2017 के अधिक्रमण में, इस तरह के अधिक्रमण से पहले किए गए या किए जाने के लिए प्रतिबद्ध चीजों को छोड़कर, अध्यक्ष, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भारत सरकार के अनुमोदन से एक उप-समूह नामतः केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की प्रशासनिक समिति को निम्नलिखित संरचना के साथ प्रशासनिक और बजटीय मुद्दों से निपटने के लिए आदेश संख्या 7-2/2020-के.चि.प्रा.(डी)/2514/2020, दिनांक 15.07.2020 द्वारा पुनर्गठित किया गया था:-

1.	वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	अध्यक्ष (पदेन)
2.	वन अपर-महानिदेशक (वन्यजीव) एवं निदेशक, वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य (पदेन)
3.	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य (पदेन)
4.	संयुक्त सचिव (प्रशासन) (प्रभारी, सामान्य प्रशासन), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य (पदेन)
5.	सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	सदस्य संयोजक

प्रशासनिक समिति के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:-

- (क) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के वार्षिक बजट का अनुमोदन करना।
- (ख) धन का विनियोजन/पुनर्विनियोजन करना।
- (ग) नए पदों के सृजन और मौजूदा पदों की प्रोन्नति के संबंध में प्रस्ताव।
- (घ) समूह 'ए' के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति प्रस्ताव।
- (च) सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की शक्तियों के बाहर उपकरण आदि की खरीद पर व्यय करने का प्रस्ताव।

अधिसूचना एस.ओ. 2152(ई), दिनांक 30 जून, 2020 के अनुसार प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के पद का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए गठित केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के समान होगा।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की प्रशासनिक समिति की बैठक नहीं बुलाई जा सकी।

2.3 तकनीकी समिति

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38—डी(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और आदेश संख्या 7—4/2017—के.चि.प्रा./1191/2017, दिनांक 30.06.2017 के अधिक्रमण में, इस तरह के अधिक्रमण से पहले किए गए या किए जाने के लिए प्रतिबद्ध चीजों को छोड़कर, अध्यक्ष, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भारत सरकार के अनुमोदन से केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की तकनीकी समिति को निम्नलिखित संरचना के साथ तकनीकी मुद्दों से निपटने के लिए आदेश संख्या 7—2/2020—के.चि.प्रा.(डी)/2516/2020, दिनांक 15.07.2020 द्वारा पुनर्गठित किया गया था:—

1.	वन अपर—महानिदेशक (वन्यजीव) एवं निदेशक, वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	अध्यक्ष (पदेन)
2.	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य (पदेन)
3.	निदेशक, भारतीय पशु—चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली, उत्तर प्रदेश	सदस्य (पदेन)
4.	निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून, उत्तराखण्ड	सदस्य (पदेन)
5.	निदेशक, योजना एवं वास्तुकला विद्यालय (एस.पी.ए.), नई दिल्ली	सदस्य
6.	श्री आर. के. सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख (सेवानिवृत्त), रायपुर, छत्तीसगढ़	सदस्य
7.	श्री अभिलाष खांडेकर, वरिष्ठ पत्रकार, भोपाल, मध्य प्रदेश	सदस्य

8.	सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	सदस्य संयोजक
----	--	--------------

तकनीकी समिति के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:-

- (i) चिड़ियाघर में रखे गए वन्यजीवों के आवास, रख-रखाव और पशु-चिकित्सा देखभाल के लिए न्यूनतम मानकों के विनिर्देश पर प्राधिकरण को सिफारिश करना;
- (ii) चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान करने या मान्यता रद्द करने तथा नए चिड़ियाघरों के निर्माण के लिए प्राप्त आवेदनों हेतु प्राधिकरण की सिफारिश करना;
- (iii) कैप्टिव प्रजनन के उद्देश्य से वन्यजीवों की लुप्तप्राय प्रजातियों की पहचान के लिए प्राधिकरण की सिफारिश करना और इस संबंध में एक चिड़ियाघर को उत्तरदायित्व सौंपना;
- (iv) वन्यजीवों के आदान-प्रदान, विदेशी चिड़ियाघरों से वन्यजीवों को उपहार स्वीकार करने और विदेशी चिड़ियाघरों को वन्यजीवों को उपहार प्रदान करने हेतु प्राधिकरण की सिफारिश करना;
- (v) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I और अनुसूची II में निर्दिष्ट वन्यजीवों के अधिग्रहण या स्थानांतरण और वन्यजीवों के आदान-प्रदान हेतु प्राधिकरण की सिफारिश करना करना जो भारतीय चिड़ियाघरों के बीच समन्वित संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम का हिस्सा हैं;
- (vi) चिड़ियाघर के मास्टर प्लान और मास्टर (ले-आउट) प्लान के अनुमोदन के अलावा चिड़ियाघर के कैप्टिव वन्यजीवों के प्रदर्शन के संबंध में प्राथमिकताओं, विषयों की पहचान में प्राधिकरण की सिफारिश करना;
- (vii) चिड़ियाघर प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर भारत में प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएँ और बैठक आयोजित करने के प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए प्राधिकरण को सिफारिश करने के अलावा भारत और भारत के बाहर चिड़ियाघर कर्मियों के प्रशिक्षण के समन्वय में प्राधिकरण को सिफारिश करना;
- (viii) प्राधिकरण द्वारा वित्त पोषण हेतु चिड़ियाघरों से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु प्राधिकरण की सिफारिश करना;
- (ix) चिड़ियाघरों को वैज्ञानिक आधार पर उनके उचित प्रबंधन और विकास हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु प्राधिकरण की सिफारिश करना;
- (x) विभिन्न चिड़ियाघरों एवं अन्य संगठनों को वित्तीय सहायता जारी करने के प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु प्राधिकरण की सिफारिश करना; और
- (xi) कोई अन्य कार्य जिसे केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा सौंपा जा सकता है।

अधिसूचना एस.ओ. 2152(ई), दिनांक 30 जून, 2020 के अनुसार तकनीकी समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के पद का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए गठित केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के समान होगा।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की तकनीकी समिति की 101^{वीं} बैठक, 28 जून, 2021; 102^{वीं} बैठक, 13 अगस्त, 2021; 103^{वीं} बैठक, 10 फरवरी, 2022 एवं 104^{वीं} बैठक, 30 मार्च, 2022 को हुई जिसमें

चिड़ियाघरों में सुधार, संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम, अनुसंधान और प्रशिक्षण और मास्टर प्लान के अनुमोदन के प्रस्ताव के अलावा अन्य नीति स्तर के मुद्दे थे।

2.4 चिड़ियाघर संकल्पना संबंधी विशेषज्ञ समूह

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के चिड़ियाघर संकल्पना संबंधी विशेषज्ञ समूह का पुनर्गठन माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार एवं अध्यक्ष, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अनुमोदन कार्यालय आदेश फाइल संख्या 7-2/2020-के.चि.प्रा.(खण्ड), दिनांक 11.06.2021 के माध्यम से निम्नलिखित संरचना और संदर्भ की शर्तों के साथ किया गया था:-

1.	प्रतिनिधि, सिविल निर्माण एकक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कमरा नं. 728, 7 ^{वीं} तल, पं दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सी.जी.ओ. परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003	आधिकारिक सदस्य (सिविल निर्माण पर विशेषज्ञ के रूप में संस्थागत सदस्य)
2.	डॉ. आरती ग़ोवर, सह-प्राध्यापक, परिदृश्य वास्तुकला विभाग, योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली – 110 002	सदस्य (चिड़ियाघर संकल्पना एवं वास्तुकला विशेषज्ञ के रूप में संस्थागत सदस्य)
3.	प्रो. सैय्यद मोहम्मद अख्तर, अधिष्ठाता, वास्तुकला विशेषज्ञ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली – 110 025	अशासकीय सदस्य (व्यक्तिगत विशेषज्ञ सदस्य एवं शिक्षक)
4.	सुश्री मौलश्री जोशी, आर्किटेक्चर एण्ड फाउंडिंग पार्टनर स्पेस मैटर्स, दिल्ली	सदस्य (अंतःविषय अध्ययन और पर्यावरण अनुकूल वास्तुकला पर व्यक्तिगत विशेषज्ञ)
5.	श्री पी.सी. त्यागी, भूतपूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक (वन बल प्रमुख), तमिलनाडु	अशासकीय सदस्य (एक्स-सीटू संरक्षण अभ्यासी के रूप में व्यक्तिगत विशेषज्ञ सदस्य)
6.	मूल्यांकन एवं निगरानी अधिकारी, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सचिवालय का प्रतिनिधित्व करते आधिकारिक सदस्य
7.	वैज्ञानिक अधिकारी, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	

8.	सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	आधिकारिक संयोजक सदस्य
----	---	-----------------------

चिड़ियाघर संकल्पना संबंधी विशेषज्ञ समूह के विचारणीय विषय हैं:—

- (i) विभिन्न चिड़ियाघरों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित मास्टर (ले-आउट) एवं मास्टर प्लान की जाँच, सुधार, परिवर्तन हेतु (तकनीकी समिति की) सिफारिश करना।
- (ii) विभिन्न चिड़ियाघरों द्वारा प्रस्तुत वन्यजीवों के बाड़ों के मानचित्रों की जाँच, सुधार/परिवर्तन का सुझाव देना और अनुमोदन/अस्वीकार करना।
- (iii) विभिन्न चिड़ियाघरों के लिए वन्यजीवों के बाड़ों के मानचित्रों के लिए मानकों/मानदंडों का सुझाव देना।

वर्ष 2021-22 के दौरान, चिड़ियाघर संकल्पना संबंधी विशेषज्ञ समूह की निम्नलिखित बैठकें भारतीय चिड़ियाघरों में बनने वाले लुप्तप्राय प्रजातियों के बाड़ों के मानचित्रों को अनुमोदन देने तथा चिड़ियाघरों के मास्टर (ले-आउट) प्लान तथा मास्टर प्लान के अनुमोदन की अनुशंसा करने हेतु आयोजित की गई थीं:—

1.	चिड़ियाघर संकल्पना संबंधी विशेषज्ञ समूह की 98 ^{वीं} बैठक	—	25 मई, 2021
2.	चिड़ियाघर संकल्पना संबंधी विशेषज्ञ समूह की 99 ^{वीं} बैठक	—	22-23 जून, 2021
3.	चिड़ियाघर संकल्पना संबंधी विशेषज्ञ समूह की 100 ^{वीं} बैठक	—	2-3 अगस्त, 2021
4.	चिड़ियाघर संकल्पना संबंधी विशेषज्ञ समूह की 101 ^{वीं} बैठक	—	27-28 अक्टूबर, 2021
5.	चिड़ियाघर संकल्पना संबंधी विशेषज्ञ समूह की 102 ^{वीं} बैठक	—	20 जनवरी, 2022
6.	चिड़ियाघर संकल्पना संबंधी विशेषज्ञ समूह की 103 ^{वीं} बैठक	—	22 मार्च, 2022

3. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का पुनर्गठन

डॉ. संजय कुमार शुक्ला, भा.व.से. (1992 एमपी) ने सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के रूप में दिनांक 01.03.2022 (पूर्वाह्न) को कार्यभार ग्रहण किया। डॉ. एस.पी.यादव, भा.व.से. (1989 यूपी), अतिरिक्त महानिदेशक (प्रोजेक्ट टाईगर) और सदस्य सचिव, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दिनांक 30.06.2020 (पूर्वाह्न) से 28.02.2022 (अपराह्न) तक सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।

डॉ. सोनाली घोष, भा.व.से. (2000 असम), उप-महानिरीक्षक (डीआईजी), मुख्यालय, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के दिनांक 14 दिसंबर, 2021 को मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तन के कारण श्रीमती आकांक्षा महाजन, भा.व.से. (2003 आरजे), उप-महानिरीक्षक (डीआईजी), मुख्यालय, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के रूप में दिनांक 25.12.2021 (पूर्वाह्न) से शामिल हुईं।

4. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के कार्य

4.1 चिड़ियाघरों का तकनीकी मूल्यांकन करना एवं मान्यता देना

क. वर्ष 2021-22 के दौरान चिड़ियाघरों का तकनीकी मूल्यांकन

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 18 चिड़ियाघरों का मूल्यांकन किया। उक्त अवधि के दौरान मूल्यांकित विभिन्न श्रेणियों के चिड़ियाघरों की सूची निम्नलिखित है:-

क्र.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	चिड़ियाघर का नाम एवं स्थान	मूल्यांकन अधिकारी का नाम	मूल्यांकन की तिथि
1.	आंध्र प्रदेश	करुणा वाईल्डलाईफ रेस्क्यू सेंटर, पुट्टपर्थी	डॉ. देवेन्द्र कुमार, मूल्यांकन एवं निगरानी अधिकारी, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कार्यालय	15 एवं 16 जुलाई, 2021
2.	हरियाणा	गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, पिंजौर	डॉ. गौरी मल्लापुर, पशु-चिकित्सा सलाहकार, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कार्यालय	21 एवं 22 अगस्त 2021
3.	हरियाणा	लघु चिड़ियाघर, पिपली	डॉ. गौरी मल्लापुर, पशु-चिकित्सा सलाहकार, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कार्यालय	20 अगस्त, 2021
4.	गोवा	बोंडला जू उसगाओ	डॉ. गौरी मल्लापुर, पशु-चिकित्सा सलाहकार, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कार्यालय	12 एवं 13 सितंबर, 2021
5.	कर्नाटक	श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल गार्डन, मैसूरु	श्री सी.एस. यालाक्की, भा.व.से. (सेवानिवृत्त)	15 एवं 16 सितम्बर और 5 दिसम्बर, 2021
6.	कर्नाटक	तुंगभद्रा मिनी जू होसपेट	श्री लक्ष्मीनरसिम्हा आर., वैज्ञानिक अधिकारी, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कार्यालय	21-22 अगस्त, 2021
7.	कर्नाटक	डीयर पार्क, एनएमडीसी लिमिटेड, दोगिमलै	श्री लक्ष्मीनरसिम्हा आर., वैज्ञानिक अधिकारी, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कार्यालय	21 अगस्त, 2021
8.	महाराष्ट्र	संजय गाँधी नेशनल पार्क जू बोरीवली	डॉ. गौरी मल्लापुर, पशु-चिकित्सा सलाहकार,	8 एवं 9 सितम्बर, 2021

क्र.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	चिड़ियाघर का नाम एवं स्थान	मूल्यांकन अधिकारी का नाम	मूल्यांकन की तिथि
			केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कार्यालय	
9.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद म्यूनिसिपल कार्पोरेशन जू, औरंगाबाद	डॉ. गौरी मल्लापुर, पशु-चिकित्सा सलाहकार एवं श्री टी. अजय कुमार, मूल्यांकन एवं निगरानी सहायक, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कार्यालय	16 एवं 17 जुलाई, 2021
10.	महाराष्ट्र	स्नेक पार्क, ढोलगरवाड़ी	डॉ. गौरी मल्लापुर, पशु-चिकित्सा सलाहकार, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कार्यालय	10 अगस्त, 2021
11.	महाराष्ट्र	महात्मा गाँधी जू, सोलापुर	डॉ. गौरी मल्लापुर, पशु-चिकित्सा सलाहकार एवं श्री टी. अजय कुमार, मूल्यांकन एवं निगरानी सहायक, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कार्यालय	14 एवं 15 जुलाई, 2021
12.	राजस्थान	अभेड़ा जैविक उद्यान, कोटा	डॉ. देवेन्द्र कुमार, मूल्यांकन एवं निगरानी अधिकारी, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कार्यालय	7 फरवरी, 2022
13.	तमिलनाडु	वी.ओ.सी. पार्क जू, कोयम्बटूर	श्री लक्ष्मीनरसिम्हा आर., वैज्ञानिक अधिकारी, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कार्यालय	17 एवं 18 जुलाई, 2021
14.	तेलंगाना	डीयर पार्क-केसोराम सीमेंट, बंसतनगर	श्री टी. अजय कुमार, मूल्यांकन एवं निगरानी सहायक, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कार्यालय	15 अगस्त, 2021
15.	त्रिपुरा	सिपाहीजला जूलॉजिकल पार्क	डॉ. देवेन्द्र कुमार, मूल्यांकन एवं निगरानी अधिकारी, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कार्यालय	29 एवं 30 अगस्त, 2021
16.	उत्तर प्रदेश	कानपुर प्राणी उद्यान, कानपुर	डॉ. राजीव के. श्रीवास्तव (पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक, तमिलनाडु)	18 सितम्बर, 2021
17.	उत्तर प्रदेश	नवाब वाज़िद अली शाह प्राणी उद्यान, लखनऊ	डॉ. राजीव के. श्रीवास्तव (पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक, तमिलनाडु)	17 से 21 सितम्बर, 2021

क्र.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	चिड़ियाघर का नाम एवं स्थान	मूल्यांकन अधिकारी का नाम	मूल्यांकन की तिथि
18.	उत्तर प्रदेश	सारनाथ हिरण उद्यान, वाराणसी	डॉ. देवेन्द्र कुमार, मूल्यांकन एवं निगरानी अधिकारी, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कार्यालय	20 एवं 21 अगस्त, 2021

ख. वर्ष 2021-22 के दौरान मान्यता नवीकृत चिड़ियाघर

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वर्ष 2021-22 के दौरान 6 चिड़ियाघरों की मान्यता नवीनीकरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार किया। इनमें से बड़े, मध्यम, छोटे, लघु श्रेणी के चिड़ियाघर एवं रेस्क्यू सेंटर क्रमशः 2, 0, 2, 1 एवं 1 थे।

बड़े श्रेणी के चिड़ियाघर

क्र.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	चिड़ियाघर का नाम एवं स्थान	मान्यता की वैधता
1.	कर्नाटक	श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल गार्डन, मैसूरु	28 फरवरी, 2025
2.	उत्तर प्रदेश	नवाब वाज़िद अली शाह प्राणी उद्यान, लखनऊ	28 फरवरी, 2025

छोटे श्रेणी के चिड़ियाघर

क्र.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	चिड़ियाघर का नाम एवं स्थान	मान्यता की वैधता
1.	गोवा	बोंडला जू, उसगाओ	8 मार्च, 2023
2.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद म्यूनिसिपल कार्पोरेशन जू, औरंगाबाद	15 नवम्बर, 2023

लघु श्रेणी के चिड़ियाघर

क्र.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	चिड़ियाघर का नाम एवं स्थान	मान्यता की वैधता
1.	उत्तर प्रदेश	सारनाथ हिरण उद्यान, वाराणसी	28 फरवरी, 2024

रेस्क्यू सेंटर

क्र.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	चिड़ियाघर का नाम एवं स्थान	मान्यता की वैधता
1.	आंध्र प्रदेश	करुणा वाईल्डलाईफ रेस्क्यू सेंटर, पुट्टपर्थी	15 नवम्बर, 2023

ग. वर्ष 2021-22 के दौरान मान्यता प्राप्त नए चिड़ियाघर

समीक्षाधीन अवधि के दौरान किसी भी नए चिड़ियाघर को मान्यता नहीं प्रदान की गई।

घ. वर्ष 2021-22 के दौरान स्थापित नए चिड़ियाघर

वर्ष 2021-22 के दौरान 13 अगस्त, 2021 को आयोजित तकनीति समिति की 102^{वीं} बैठक की सिफारिश के आधार पर, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने 16 नवंबर, 2021 को आयोजित अपनी 38^{वीं} बैठक में, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38-एच की उप-धारा (1-ए) के तहत निर्धारित शर्तों के अनुपालन के अधीन निम्नलिखित चिड़ियाघरों की स्थापना के लिए पूर्व स्वीकृति प्रदान की है:-

1. बराक वैली वाईल्डलाईफ सफारी कम रेस्क्यू सेंटर, ढोलई, काछार, असम
2. रेस्क्यू सेंटर, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश
3. रेस्क्यू सेंटर, हस्तिनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश
4. रेस्क्यू सेंटर, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश
5. रेस्क्यू सेंटर, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश
6. टाईगर सफारी ऐट डेला, कॉर्बेट टाईगर रिजर्व, उत्तराखण्ड
7. टाईगर सफारी, बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व, मध्य प्रदेश
8. चंद्रपुर टाईगर सफारी एण्ड रेस्क्यू सेंटर, चंद्रपुर, महाराष्ट्र
9. अभेड़ा जैविक उद्यान, कोटा, राजस्थान
10. मंकी रेस्क्यू सेंटर, मथुरा, उत्तर प्रदेश
11. बायोलॉजिकल पार्क, जमालपाड़ा, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव
12. बर्ड पार्क, गुलाब बाग, उदयपुर, राजस्थान
13. न्यू जूलॉजिकल पार्क, मढ़बूलु विलेज, चित्तापुर, कालबुर्गी डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक
14. एलीफैंट कंजर्वेशन एण्ड केयर सेंटर, मथुरा, उत्तर प्रदेश

च. वर्ष 2021-22 के दौरान कारण बताओ नोटिस दिए गए चिड़ियाघरों की सूची

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के बारम्बार निर्देशों के बावजूद चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 के तहत निर्धारित मानक और मानदंडों के अनुसार काम नहीं करने वाले चिड़ियाघरों को उनके प्रदर्शन में प्रत्यक्ष सुधार लाने के लिए समयबद्ध प्रतिबद्धता प्रस्तुत करने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया है अन्यथा केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को चिड़ियाघर में रखे गए कैप्टिव वन्यजीवों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उनकी मान्यता को रद्द/निलंबित करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। निम्नलिखित 6 चिड़ियाघरों के चिड़ियाघर संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है:-

क्र.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	चिड़ियाघर का नाम	श्रेणी	कारण बताओ नोटिस की तिथि
1.	केरल	लॉयन सफारी पार्क, नेय्यार, केरल	लघु चिड़ियाघर	30 जुलाई, 2021
2.	अरुणाचल प्रदेश	मियाओ मिनी जू	लघु चिड़ियाघर	29 दिसंबर, 2020
3.	अरुणाचल प्रदेश	मिनी जू, रोइंग	लघु चिड़ियाघर	1 मार्च, 2021

क्र.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	चिड़ियाघर का नाम	श्रेणी	कारण बताओ नोटिस की तिथि
4.	छत्तीसगढ़	मैत्री बाग चिड़ियाघर, भिलाई	मध्यम चिड़ियाघर	25 जनवरी, 2021
5.	गुजरात	ग्रेट गोल्डन सर्कस	सर्कस	1 सितंबर, 2020
6.	ओडिशा	तप्तापानी डीयर पार्क, डिस्ट्रिक्ट – गंजम	लघु चिड़ियाघर	27 मार्च, 2021

छ. वर्ष 2021–22 के दौरान मान्यता निरस्त चिड़ियाघर

ऐसे चिड़ियाघर जो केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के बार-बार दिशा-निर्देशों के बावजूद, चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 के मानकों और मापदण्डों की अवहेलना कर संचालन कर रहे थे, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने उनमें रखे वन्यजीवों के हित को ध्यान में रखते हुए, उन चिड़ियाघरों की मान्यता निरस्त कर दी है। ऐसे 6 चिड़ियाघर, जिनकी मान्यता केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वर्ष 2021–22 में रद्द की है, निम्नलिखित हैं:-

क्र.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	चिड़ियाघर का नाम	निरस्तता की तिथि
1.	कर्नाटक	तुंगभद्रा मिनी जू, होसपेट	5 जनवरी, 2022
2.	केरल	लॉयन सफारी पार्क, नेय्यार, तिरुवनंतपुरम	13 दिसंबर, 2021
3.	महाराष्ट्र	महात्मा गाँधी जू, सोलापुर	28 दिसंबर, 2021
4.	महाराष्ट्र	स्नेक पार्क, ढोलगरवाड़ी	5 जनवरी, 2022
5.	तमिलनाडु	वी.ओ.सी. पार्क जू, कोयम्बटूर	5 जनवरी, 2022
6.	तेलंगाना	डीयर पार्क-केसोराम सीमेंट, बंसतनगर	5 जनवरी, 2022

4.2 31 मार्च, 2022 तक मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों की सूची

भारत में चिड़ियाघरों को संचालन के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38एच(1) के प्रावधानों के तहत केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की मान्यता की आवश्यकता होती है। देश में कोई भी चिड़ियाघर केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना स्थापित एवं मान्यता के बिना संचालित नहीं किया जा सकता है।

देश में चिड़ियाघरों के वैज्ञानिक प्रबंधन और संचालन के लिए एवं भौतिक और मानव बुनियादी ढाँचे को नियमित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 के तहत मानक और मानदंड निर्धारित किए हैं। तदनुसार, भारत में चिड़ियाघरों को चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 के नियम 9 के तहत बड़े, मध्यम, छोटे एवं लघु श्रेणी के चिड़ियाघरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चिड़ियाघरों का यह वर्गीकरण चिड़ियाघरों के प्रबंधन और वन्यजीवों के आवास, रखरखाव, पशु-चिकित्सा देखभाल आदि से संबंधित मानकों और मानदंडों को लागू करने के उद्देश्य से किया गया है। चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 का नियम 9, चिड़ियाघरों के वर्गीकरण के लिए मानदंड (चिड़ियाघर का क्षेत्रफल, आगंतुकों की संख्या, प्रजातियों एवं वन्यजीवों की संख्या और लुप्तप्राय प्रजातियों के वन्यजीवों की संख्या) निर्धारित करता है। उपरोक्त चार श्रेणियों में से किसी एक में वर्गीकृत होने के लिए चिड़ियाघर को उपरोक्त मानदंडों में से कम से कम चार मानदंडों

(प्रजातियों की कुल संख्या, लुप्तप्राय प्रजातियों की कुल संख्या और उनके द्वारा रखे गए लुप्तप्राय प्रजातियों सहित वन्यजीवों की कुल संख्या) को पूरा करना चाहिए।

31.03.2022 तक, देश में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38एच(1) के तहत मान्यता प्राप्त 147 चिड़ियाघर हैं। जिसमें 17 बड़े चिड़ियाघर, 23 मध्यम चिड़ियाघर, 33 छोटे चिड़ियाघर एवं 60 लघु चिड़ियाघर एवं 14 रेस्क्यू सेंटर हैं।

देश में 147 मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों की सूची उनके वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित है:-

क्र.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	चिड़ियाघर का नाम	स्थान	श्रेणी
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	बायोलॉजिकल पार्क, चिड़ियाटापू	पोर्ट ब्लेयर	छोटा चिड़ियाघर
2.	आंध्र प्रदेश	डीयर पार्क, चित्तूर	चित्तूर (पूर्व) प्रभाग	लघु चिड़ियाघर
3.		डीयर पार्क, कंडालेरू	कंडालेरू	लघु चिड़ियाघर
4.		इंदिरा गाँधी जूलॉजिकल पार्क	विशाखापत्तनम	बड़ा चिड़ियाघर
5.		करुणा वाईल्डलाईफ रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर – रायलसीमा	डिस्ट्रिक्ट – अनंतपुर	रेस्क्यू सेंटर
6.		श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क	तिरुपति	बड़ा चिड़ियाघर
7.		अरुणाचल प्रदेश	बायोलॉजिकल पार्क, ईटानगर	ईटानगर
8.	सेंटर फॉर बीयर रिहैबिलीटेशन एण्ड कंजर्वेशन		पक्के	रेस्क्यू सेंटर
9.	मियाओ मिनी जू		मियाओ	लघु चिड़ियाघर
10.	मिनी जू, रोइंग		रोइंग	लघु चिड़ियाघर
11.	असम	असम स्टेट जू कम बोटैनिकल गार्डन	गुवाहाटी	बड़ा चिड़ियाघर
12.		बिजनी डीयर पार्क	बोंगाईगाँव	लघु चिड़ियाघर
13.		सेंटर फॉर वाईल्डलाईफ रिहैबिलीटेशन एण्ड कंजर्वेशन	गोलाघाट	रेस्क्यू सेंटर
14.	बिहार	राजगीर जू सफारी	नालन्दा	लघु चिड़ियाघर
15.		संजय गाँधी जैविक उद्यान	पटना	बड़ा चिड़ियाघर
16.	छत्तीसगढ़	कानन पेण्डारी चिड़ियाघर	बिलासपुर	मध्यम चिड़ियाघर
17.		मैत्री बाग चिड़ियाघर	भिलाई	मध्यम चिड़ियाघर
18.		नंदनवन जंगल सफारी (नया रायपुर)	नया रायपुर	मध्यम चिड़ियाघर
19.	दादरा और नगर हवेली	लॉयन सफारी – वसोना	वसोना	लघु चिड़ियाघर
20.		ए.एन.झा डीयर पार्क	हौज़ खास (नई)	लघु चिड़ियाघर

	दिल्ली		दिल्ली)	
21.		राष्ट्रीय प्राणी उद्यान	दिल्ली	बड़ा चिड़ियाघर
22.	गोवा	बोंडला जू	उसगाओ	छोटा चिड़ियाघर
23.		अंबार्डी वाईल्डलाईफ इंटरप्रेटेशन ज़ोन (अंबार्डी सफारी पार्क)	अमरेली	लघु चिड़ियाघर
24.		डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जूलॉजिकल गार्डन	सूरत	मध्यम चिड़ियाघर
25.		ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर	जामनगर	लघु चिड़ियाघर
26.		इंद्रोदा नेचर पार्क	गाँधी नगर	मध्यम चिड़ियाघर
27.		कमला नेहरू जूलॉजिकल गार्डन	अहमदाबाद	बड़ा चिड़ियाघर
28.	गुजरात	राजकोट म्यूनिसिपल जू	राजकोट	मध्यम चिड़ियाघर
29.		सक्करबाग जू	जूनागढ़	बड़ा चिड़ियाघर
30.		सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क	केवडिया	लघु चिड़ियाघर
31.		सयाजी बाग जू	वडोदरा	मध्यम चिड़ियाघर
32.		सुंदरवन नेचर डिस्कवरी सेंटर	जोधपुर टेकरा (अहमदाबाद)	लघु चिड़ियाघर
33.		चौधरी सुरिंदर सिंह ऐलीफैंट रेस्क्यू सेंटर	बनसंतूर	रेस्क्यू सेंटर
34.		डीयर पार्क, हिसार	हिसार	लघु चिड़ियाघर
35.		लघु चिड़ियाघर, भिवानी	भिवानी	लघु चिड़ियाघर
36.	हरियाणा	लघु चिड़ियाघर, पिपली	पिपली	लघु चिड़ियाघर
37.		रोहतक चिड़ियाघर	रोहतक	छोटा चिड़ियाघर
38.		गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र	पिंजौर	रेस्क्यू सेंटर
39.		धौलाधर नेचर पार्क	गोपालपुर	छोटा चिड़ियाघर
40.		हिमालयन नेचर पार्क	कुफरी	छोटा चिड़ियाघर
41.	हिमाचल प्रदेश	नेहरू फीजेन्ट्री	मनाली	रेस्क्यू सेंटर
42.		रेणुका लघु चिड़ियाघर	सिरमौर	लघु चिड़ियाघर
43.		रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन होम	टूटीकंडी	रेस्क्यू सेंटर
44.		रिवालसर लघु चिड़ियाघर	मंडी	लघु चिड़ियाघर
45.		सराहन फीजेन्ट्री	सराहन	लघु चिड़ियाघर
46.		भगवान बिरसा जैविक उद्यान	राँची	मध्यम चिड़ियाघर
47.		बिरसा मृग विहार	कालीमाटी	लघु चिड़ियाघर
48.	झारखण्ड	जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान	बोकारो	मध्यम चिड़ियाघर
49.		टाटा इस्पात प्राणी उद्यान	जमशेदपुर	मध्यम चिड़ियाघर
50.		बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क	बैंगलुरु	बड़ा चिड़ियाघर
51.		चिल्ड्रेन पार्क कम जू (गदग जू)	गदग	छोटा चिड़ियाघर
52.		डीयर पार्क, एन.एम.डी.सी. लिमिटेड	डोनीमलाई	लघु चिड़ियाघर

53.	कर्नाटक	डॉ. के. शिवराम कारंत पिलिकुला बायोलॉजिकल पार्क	मैंगलोर	बड़ा चिड़ियाघर	
54.		इंदिरा प्रियदर्शिनी संग्रहालय, अनागोडू	दावणगेरे तालुक	लघु चिड़ियाघर	
55.		कित्तूर रानी चेन्नम्मा निसर्ग धाम मिनी जू	बेलगाम	लघु चिड़ियाघर	
56.		मिनी जू ए.एम. गुडी बलवाना	चित्रदुर्गा	लघु चिड़ियाघर	
57.		मिनी जू ऐट गेंदेकट्टे	हसन	लघु चिड़ियाघर	
58.		मिनी जू कम चिल्ड्रेन पार्क	कालबुर्गी	लघु चिड़ियाघर	
59.		नमदाचिलुमे डीयर पार्क	तुमकुर	लघु चिड़ियाघर	
60.		पीपुल फॉर एनीमल्स – रेस्क्यू सेंटर	बैंगलुरु	रेस्क्यू सेंटर	
61.		श्री अटल बिहारी वाजपेई जूलॉजिकल पार्क	बेल्लारी	लघु चिड़ियाघर	
62.		श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल गार्डन	मैसुरु	बड़ा चिड़ियाघर	
63.		टाईगर एण्ड लॉयन सफारी	शिमोगा	छोटा चिड़ियाघर	
64.		केरल	काप्रीक्कड मिनी जू एण्ड रेस्क्यू सेंटर	एर्नाकुलम	लघु चिड़ियाघर
65.			परस्सीनिकडवु स्नेक पार्क एंड जू	कन्नूर	छोटा चिड़ियाघर
66.	स्नेक पार्क, मालमपुझा		मालमपुझा	लघु चिड़ियाघर	
67.	स्टेट म्यूजियम एण्ड जू		थ्रिसुर	मध्यम चिड़ियाघर	
68.	तिरुवनंतपुरम जू		तिरुवनंतपुरम	बड़ा चिड़ियाघर	
69.	मध्य प्रदेश	गाँधी प्राणी उद्यान	ग्वालियर	छोटा चिड़ियाघर	
70.		कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय चिड़ियाघर	इंदौर	मध्यम चिड़ियाघर	
71.		महाराजा मार्टंड सिंह जूदेव व्हाइट टाईगर सफारी एण्ड जू, मुकुन्दपुर	सतना	लघु चिड़ियाघर	
72.		वन विहार राष्ट्रीय उद्यान चिड़ियाघर	भोपाल	छोटा चिड़ियाघर	
73.	महाराष्ट्र	आम्टेस एनीमल आर्क	गढ़चिरौली	रेस्क्यू सेंटर	
74.		औरंगाबाद म्यूनिसिपल जू	औरंगाबाद	छोटा चिड़ियाघर	
75.		गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू	नागपुर	लघु चिड़ियाघर	
76.		लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर	मानिकदोह	रेस्क्यू सेंटर	
77.		महाराजा शहाजी छत्रपति जू	कोल्हापुर	लघु चिड़ियाघर	
78.		महाराजाबाग जू	नागपुर	छोटा चिड़ियाघर	
79.		निसर्गकवि बहिनाबाई चौधरी प्राणी संग्रहालय	चिंचवड, पुणे	छोटा चिड़ियाघर	
80.		पीपुल फॉर एनीमल्स, शेल्टर हाऊस	वर्धा	रेस्क्यू सेंटर	
81.		राजीव गाँधी जूलॉजिकल पार्क एण्ड वाईल्डलाईफ रिसर्च सेंटर	पुणे	मध्यम चिड़ियाघर	
82.		रेस्क्यू सेंटर ऐट गोरवाड़ा	नागपुर	रेस्क्यू सेंटर	
83.		संजय गाँधी नेशनल पार्क एण्ड जू	बोरीवली	छोटा चिड़ियाघर	
84.		वीरमाता जीजाबाई भोंसले उद्यान एण्ड जू	मुंबई	मध्यम चिड़ियाघर	
85.	मणिपुर	मणिपुर जूलॉजिकल गार्डन	इरोईसेंबा	मध्यम चिड़ियाघर	

86.		लेडी हैदरी पार्क एनीमल लैंड (मेघालय जू)	शिलाँग	लघु चिड़ियाघर
87.	मेघालय	नेहरू पार्क जू, दानकग्रे, तुरा	अखोंगिनी तुरा	छोटा चिड़ियाघर
88.		अइज़ोल जू (मिज़ोरम जू)	अइज़ोल	छोटा चिड़ियाघर
89.	मिज़ोरम	डीयर पार्क, थेनजोल	थेनजोल	लघु चिड़ियाघर
90.	नागालैंड	नागालैंड जूलॉजिकल पार्क, रंगापहाड़	रंगापहाड़	मध्यम चिड़ियाघर
91.		डीयर पार्क, पापड़ाहांडी	नबरंगपुर	लघु चिड़ियाघर
92.		घड़ियाल रिसर्च एण्ड कंजर्वेशन यूनिट	टिकरपाड़ा	लघु चिड़ियाघर
93.		हरिशंकर डीयर पार्क	बालांगिर	लघु चिड़ियाघर
94.		इंदिरा गाँधी पार्क जू	राउरकेला	छोटा चिड़ियाघर
95.	ओडिशा	कपिलाश जू	ढेंकानाल	छोटा चिड़ियाघर
96.		कानेरिया डीयर पार्क, नयागढ़ फॉरेस्ट डिविजन	नयागढ़	लघु चिड़ियाघर
97.		नंदनकानन बायोलॉजिकल पार्क	भुवनेश्वर	बड़ा चिड़ियाघर
98.		तप्तापानी डीयर पार्क	परलाखेमुंडी	लघु चिड़ियाघर
99.		वाईल्ड एनीमल कंजर्वेशन सेंटर	मोतीझारन, संबलपुर	छोटा चिड़ियाघर
100.		डीयर पार्क, बीर मोती बाग (पटियाला जू)	पटियाला	छोटा चिड़ियाघर
101.		डीयर पार्क, बीर तालाब	बठिंडा	लघु चिड़ियाघर
102.	पंजाब	डीयर पार्क, नीलों	लुधियाना	लघु चिड़ियाघर
103.		लुधियाना जू	लुधियाना	छोटा चिड़ियाघर
104.		महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क	छतबीर, चंडीगढ़	बड़ा चिड़ियाघर
105.		कोटा चिड़ियाघर	कोटा	छोटा चिड़ियाघर
106.		माचिया जैविक उद्यान (जोधपुर चिड़ियाघर)	जोधपुर	छोटा चिड़ियाघर
107.	राजस्थान	नाहरगढ़ जैविक उद्यान (जयपुर चिड़ियाघर)	जयपुर	मध्यम चिड़ियाघर
108.		सज्जनगढ़ जैविक उद्यान (उदयपुर चिड़ियाघर)	उदयपुर	छोटा चिड़ियाघर
109.	सिक्किम	हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, बुलबुले	गंगटोक	छोटा चिड़ियाघर
110.		अमृद्धि जू	वेल्लोर	छोटा चिड़ियाघर
111.		अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क	वंडालुर, चेन्नई	बड़ा चिड़ियाघर
112.		चेन्नई स्नेक पार्क	गुंडी, चेन्नई	छोटा चिड़ियाघर
113.	तमिलनाडु	चिल्ड्रेन्स पार्क	गुंडी, चेन्नई	मध्यम चिड़ियाघर
114.		कुरुमबापट्टी जूलॉजिकल पार्क	सेलम	छोटा चिड़ियाघर
115.		मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट/सेंटर फॉर हरपेटोलॉजी	महाबलीपुरम	मध्यम चिड़ियाघर
116.		डीयर पार्क, जवाहर लेक ट्रिस्ट कॉम्प्लेक्स	शमीरपेट	लघु चिड़ियाघर
117.		काकतीय जूलॉजिकल पार्क (वनविज्ञान केंद्र)	वारंगल	छोटा चिड़ियाघर
118.		करीमनगर डीयर पार्क	करीमनगर	लघु चिड़ियाघर
119.	तेलंगाना	किन्नरसानी डीयर पार्क	किन्नरसारी	लघु चिड़ियाघर

120.		नेहरू जूलॉजिकल पार्क	हैदराबाद	बड़ा चिड़ियाघर
121.		पिल्लालामर्री डीयर पार्क	पिल्लालामर्री कॉम्प्लेक्स, महबूब नगर	लघु चिड़ियाघर
122.	त्रिपुरा	सिपाहीजला जूलॉजिकल पार्क	सिपाहीजला, अगरतला	मध्यम चिड़ियाघर
123.		आगरा बीयर रेस्क्यू फैसिलिटी	आगरा	रेस्क्यू सेंटर
124.		कानपुर प्राणी उद्यान	कानपुर	बड़ा चिड़ियाघर
125.		लॉयन ब्रीडिंग सेंटर एण्ड मल्टीपल सफारी पार्क, इटावा	इटावा	लघु चिड़ियाघर
126.	उत्तर प्रदेश	नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान	लखनऊ	बड़ा चिड़ियाघर
127.		नवाबगंज हिरण उद्यान	उन्नाव	लघु चिड़ियाघर
128.		सारनाथ हिरण उद्यान	वाराणसी	लघु चिड़ियाघर
129.		शहीद अशाफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान	गोरखपुर	लघु चिड़ियाघर
130.		वन प्राणी उद्यान, आई.वी.आर.आई.	इज़्ज़तनगर, बरेली	लघु चिड़ियाघर
131.		विनोद वन लघु चिड़ियाघर, रामगढ़ (गोरखपुर प्राणी उद्यान)	गोरखपुर	लघु चिड़ियाघर
132.		हिरण उद्यान, नारायण तिवारी देवल (अल्मोड़ा चिड़ियाघर)	अल्मोड़ा	लघु चिड़ियाघर
133.	उत्तराखण्ड	देहरादून लघु चिड़ियाघर (मालसी हिरण उद्यान)	देहरादून	लघु चिड़ियाघर
134.		पण्डित गोंविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय चिड़ियाघर	नैनीताल	छोटा चिड़ियाघर
135.		अदीना डीयर पार्क	मालदा	लघु चिड़ियाघर
136.		अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन	कोलकाता	मध्यम चिड़ियाघर
137.		बर्धमान जूलॉजिकल पार्क (रामनाबागान मिनी जू)	बर्दवान	छोटा चिड़ियाघर
138.		गरचुमुक (उलुघटा) डीयर पार्क	हावड़ा	लघु चिड़ियाघर
139.		हरिनालय ऐट ईको पार्क (नेचर पार्क ऐट ताराटोला रोड)	कोलकाता	लघु चिड़ियाघर
140.		जंगल महल जूलॉजिकल पार्क	झारग्राम	मध्यम चिड़ियाघर
141.	पश्चिम बंगाल	मार्बल पैलैस जू	कोलकाता	छोटा चिड़ियाघर
142.		नॉर्थ बंगाल वाईल्ड एनीमल्स पार्क	जलपाईगुड़ी	लघु चिड़ियाघर
143.		पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क	दार्जीलिंग	मध्यम चिड़ियाघर
144.		रसिकबील मिनी जू	कूचबिहार	लघु चिड़ियाघर
145.		साउथ खैरबरी रेस्क्यू सेंटर	मदारीहाट	रेस्क्यू सेंटर
146.		सुंदरबन वाईल्ड एनीमल पार्क, झारकली	डिस्ट्रिक्ट – 24 परगना दक्षिण	लघु चिड़ियाघर
147.		सुरुलिया मिनी जू, पुरुलिया	पुरुलिया	लघु चिड़ियाघर

4.3 केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के काम-काज में पारदर्शिता

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38-सी के तहत सौंपे गए कार्यों के प्रदर्शन में पारदर्शिता, बेहतर पहुँच, संचालन में आसानी और आँकड़ों की उपयोगिता को बढ़ाने के अपने प्रयासों के हिस्से के रूप में, सभी हितधारकों के लाभ के लिए चिड़ियाघर प्रबंधन सूचना प्रणाली (जूमिस) शीर्षक से वेब एप्लिकेशन का लोकार्पण किया।

10 अक्टूबर, 2021 को चिड़ियाघर निदेशकों और पशु-चिकित्सकों के राष्ट्रीय सम्मेलन में इसका उद्घाटन श्री अश्विनी कुमार चौबे, माननीय राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन द्वारा किया गया था।

4.4 संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने केंद्रित संरक्षण प्रजनन के लिए स्वदेशी वन्यजीवों की 74 प्रजातियों की पहचान की है। इसमें पक्षियों की 24 प्रजातियाँ और सरीसृपों की 4 प्रजातियाँ शामिल हैं। इस उद्देश्य हेतु 42 चिड़ियाघरों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 29 को समन्वयक चिड़ियाघर के रूप में नामित किया गया है। पहले यह कल्पना की गई थी कि प्रत्येक चिन्हित प्रजाति के कम से कम 100 वन्यजीव जो आनुवांशिक, शारीरिक और व्यावाहारिक रूप से स्वस्थ हों उन्हें लाया जाया। यदि प्रजातियों की वापसी की योजना है तो इन आबादी को 'बीमा' (अर्थात् एक्स-सीटू प्रजातियों की व्यवहार्य आबादी को बनाए रखना) के रूप में रखने का लक्ष्य है। इन वन्यजीवों की स्थापना "आईयूसीएन प्रजाति उत्तरजीविता आयोग प्रजाति संरक्षण के लिए एक्स-सीटू प्रबंधन के उपयोग पर दिशा-निर्देश (संस्करण 2.0)" का मुख्य रूप से अनुसरण करती है।

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने 2011 में पहला "केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के दिशा-निर्देश/मानदंड" प्रकाशित किया था। इसके भाग के रूप में 25 प्रजातियों (17 संकटग्रस्त प्रजातियों, 3 गंभीर रूप से संकटग्रस्त और 5 संकटग्रस्त) को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। सफल प्रजनन कार्यक्रमों के उदाहरण जिनके परिणामस्वरूप कैप्टिव आबादी की स्थापना हुई है, उनमें शामिल हैं:-

- | | |
|--|---|
| (i) बारासिंघा (रुसेरवस डुवावसेल्ली) | (vi) वेस्टर्न ट्रेगोपैन (ट्रेगोपैन मेलानोसीफालस) |
| (ii) व्हाईट-रम्ड वल्चर (जिप्स बेंगालेंसिस) | (vii) रेड पांडा (ऐलुरस फलगेंस एसएसपी फलगेंस) |
| (iii) हिमालयन न्यूट (टॅयलोटोट्रिटन वेरुकोसस) | (viii) स्मूथ-कोटेड ओटर (ल्यूट्रोगेल पर्सपीसीलाटा) |
| (iv) लॉयन-टेल्ड मकॉक (मकाका सिलेनस) | (ix) हिमालयन मोनाल (लोफोफोरस इंपेजॉनस) |
| (v) स्टंप-टेल्ड मकॉक (मकाका अर्कटोईडस) | (x) निकोबार पिजन (कैलोनस निकोबारिको) |

उपरोक्त के अतिरिक्त इण्डियन शेवरोटेन (मोशियोला इंडिका), चीयर फीजेंट (कैटरियस वालिची) और लांग-बिल्ड वल्चर (जिप्स इंडिकस) ने भी कैप्टिविटी में अच्छा प्रदर्शन किया है। नागालैंड जूलॉजिकल पार्क में बेलीथ्स ट्रेगोपैन (ट्रेगोपैन बेलीथी) और पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में टेम्निकसस ट्रेगोपैन (ट्रेगोपैन टेम्निकी) का प्रजनन भी वर्ष 2021-22 में सफल रहा है।

समन्वयक चिड़ियाघर के बीच रेड पांडा (*ऐलुरस फुलगेंस एसएसपी फुलगेंस*) के संरक्षण प्रजनन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी चल रहा है, जिसके हिस्से के रूप में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जीलिंग, पश्चिम बंगाल और तारोंगा जू, सिडनी के मध्य 1.0 हिमालयन रेड पांडा (*ऐलुरस फुलगेन्स एसएसपी फुलगेन्स*) के अधिग्रहण की अनुमति केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा दी गई है।

लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण प्रजनन की दिशा में पिछले तीन वर्षों के प्रयासों के परिणामों को कुछ प्रजातियों के संबंध में तालिका के रूप में नीचे दर्शाया गया है:-

बारासिंघा (*रुसेरवस डुवावसेल्ली*)

वर्ष	नर	मादा	अज्ञात लिंगी	कुल
2019-20	24	45	16	85
2020-21	21	41	18	80
2021-22	22	42	28	92

स्टंप-टेल्ड मकौक (*मकाका अर्कटोईडस*)

वर्ष	नर	मादा	अज्ञात लिंगी	कुल
2019-20	11	12	7	30
2020-21	14	14	3	33
2021-22	14	14	8	36

हिमालयन न्यूट (*टॅयलोटोट्रिटन वेरूकोसस*)

वर्ष	नर	मादा	अज्ञात लिंगी	कुल
2019-20	6	7	16	29
2020-21	6	7	37	50
2021-22	6	7	37	50

स्मूथ-कोटेड ओटर (*ल्यूट्रोगेल पर्सपीसीलाटा*)

वर्ष	नर	मादा	अज्ञात लिंगी	कुल
2019-20	1	4	10	15
2020-21	9	6	0	15
2021-22	8	5	4	17

4.5 केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों के बीच वन्यजीवों का विनिमय/ स्थानांतरण

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय चिड़ियाघरों के मध्य विभिन्न प्रजाति के वन्यजीवों के कुल 54 विनिमय प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है। वित्तीय वर्ष के दौरान वन्यजीवों के अधिग्रहण/स्थानांतरण के लिए 10 अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है।

4.5.1 भारतीय चिड़ियाघरों के मध्य कैप्टिव वन्यजीवों का विनिमय

भारतीय चिड़ियाघरों के मध्य 54 वन्यजीव विनिमय प्रस्तावों को प्राधिकरण द्वारा नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार अनुमोदित किया गया है:-

क्र.	चिड़ियाघर का नाम एवं दिए जाने वाले वन्यजीव का नाम (नर:मादा:अज्ञातलिंगी)	चिड़ियाघर का नाम एवं दिए जाने वाले वन्यजीव का नाम (नर:मादा:अज्ञातलिंगी)		
1.	इंदिरा गाँधी जूलॉजिकल पार्क, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश	राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली		
	वाईल्ड डॉग	1:1:0	बंगाल फॉक्स	0:0:4
	स्टार टॉरटॉइज	5:10:0	संगाई	6:6:0
	हमाड्रायस बबून	0:1:0	नीलगाय	2:0:0
	स्ट्रिप्ड हाईना	1:0:0	गोराल	1:2:0
	—	—	व्हाइट इबिज	2:2:0
	—	—	सिल्वर फीजेंट	1:1:0
	—	—	कलीज फीजेंट	1:2:0
	—	—	स्वैम्प डीयर	1:1:0
—	—	हिप्पोपोटैमस	1:0:0	
2.	मद्रास क्रोकोडायल बैंक ट्रस्ट/सेंटर फॉर हरपेटोलॉजी, तमिलनाडु	ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर (जीजेडआरआरसी), जामनगर, गुजरात		
	मगर (मार्श क्रोकोडायल)	350:650:0	—	—
3.	महाराजा मार्टंड सिंह जूदेव व्हाइट टाईगर सफारी एण्ड जू मुकुन्दपुर, सतना, मध्य प्रदेश	गाँधी प्राणी उद्यान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश		
	—	—	जैकाल	1:3:0
	—	—	मार्श क्रोकोडायल	1:2:0

क्र.	चिड़ियाघर का नाम एवं दिए जाने वाले वन्यजीव का नाम (नर:मादा:अज्ञातलिंगी)	चिड़ियाघर का नाम एवं दिए जाने वाले वन्यजीव का नाम (नर:मादा:अज्ञातलिंगी)		
	—	—	ईमू	1:1:0
4.	महाराजा मारतंड सिंह जूदेव व्हाईट टाईगर सफारी एण्ड जू मुकुन्दपुर, सतना, मध्य प्रदेश	कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय, इंदौर, मध्य प्रदेश		
	—	—	घड़ियाल	1:1:0
5.	बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बैंगलुरु, कर्नाटक	टाईगर एण्ड लॉयन सफारी, शिमोगा, कर्नाटक		
	लॉयन (हाईब्रिड)	1:1:0	—	—
6.	कानन पेण्डारी प्राणी उद्यान, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	नंदनवन चिड़ियाघर एवं जंगल सफारी, नया रायपुर, छत्तीसगढ़		
	बार्किंग डीयर	3:3:0	फोर हॉर्नड एन्टीलोप	3:3:0
	फॉक्स	1:2:0	—	—
7.	जूलॉजिकल गार्डेन्स, तिरुवनंतपुरम, केरल	ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात		
	हिप्पोपोटैमस	1:2:0	—	—
8.	मद्रास क्रोकोडायल बैंक ट्रस्ट (एमसीबीटी), मामल्लपुरम, तमिलनाडु	ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात		
	घड़ियाल	3:9:0	—	—
	सॉल्टवाटर क्रोकोडायल	5:5:0	—	—
	नील क्रोकोडायल	0:6:0	—	—
	ड्वार्फ कैमैन	5:5:0	—	—
	मोरलेट्स क्रोकोडायल	0:4:0	—	—
	सियामीस क्रोकोडायल	1:1:4	—	—
	इण्डियन फ्लैप शेल	5:5:0	—	—
	स्टार टॉरटॉइज	1:4:0	—	—
	ट्रावनकोर टॉरटॉइज	1:9:0	—	—
	व्हिटार्कर्स बोआ	4:6:0	—	—
	इण्डियन पाइथन	0:5:0	—	—

क्र.	चिड़ियाघर का नाम एवं दिए जाने वाले वन्यजीव का नाम (नर:मादा:अज्ञातलिंगी)	चिड़ियाघर का नाम एवं दिए जाने वाले वन्यजीव का नाम (नर:मादा:अज्ञातलिंगी)		
9.	अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, वंडालुरु, तमिलनाडु	चिल्ड्रेन्स पार्क, गुंडी, चेन्नई, तमिलनाडु		
	ऑस्ट्रिच	1:1:0	बार्न ऑउल	1:1:0
	ब्लैकबक	1:1:0	—	—
	बार्किंग डीयर	0:1:0	—	—
	व्हाइट पीफॉउल	0:2:0	—	—
	लिटल एग्रेट	2:2:0	—	—
	स्टार टोरटॉइज	2:2:0	—	—
	कॉमन कार्ट	1:1:0	—	—
10.	पीपल्स फॉर एनीमल रेस्क्यू सेंटर, वर्धा, गढ़चिरोली, महाराष्ट्र	ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात		
	स्लॉथ बीयर	2:0:0	—	—
	रीसस मकॉक	2:0:0	—	—
	जंगल कैट	1:1:0	—	—
	मार्श क्रोकोडायल	0:0:1	—	—
	ग्रे लंगूर	0:1:0	—	—
11.	अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, चेन्नई, तमिलनाडु	डॉ. के. शिवरमा कारंत पिलिकुला बायोलॉजिकल पार्क, मैंगलुरु, कर्नाटक		
	बंगाल टाईगर	0:1:0	वार्ड्ड डॉग	2:2:0
	लॉयन	1:0:0	बंगाल टाईगर	1:0:0
	ऑस्ट्रिच	0:1:0	व्हिटाकर्स बोआ	1:1:0
	—	—	चेकर्ड कीलबैक स्नेक	2:2:0
12.	नागालैंड जूलॉजिकल पार्क, रंगापहाड़, दीमापुर	ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात		
	एशियाँटिक ब्लैक बीयर	10:5:0	—	—
	कॉमन लेपर्ड	1:1:0	—	—

क्र.	चिड़ियाघर का नाम एवं दिए जाने वाले वन्यजीव का नाम (नर:मादा:अज्ञातलिंगी)	चिड़ियाघर का नाम एवं दिए जाने वाले वन्यजीव का नाम (नर:मादा:अज्ञातलिंगी)		
	लेपर्ड कैट	1:1:0	—	—
	ओरियंटल पाईड हार्नबिल	2:2:0	—	—
	स्लो लोरिस	0:0:3	—	—
	पीकॉक सॉफ्ट-शेल टर्टल	1:1:1	—	—
	एशियन लीफ टर्टल	0:0:4	—	—
	बर्मीज पॉइथन	0:0:1	—	—
	असम मकॉक	1:1:0	—	—
13.	नेहरू जूलॉजिकल पार्क, हैदराबाद, तेलंगाना		जूलॉजिकल गार्डन, तिरुवनंतपुरम, केरल	
	ग्रीन इगुआना	1:1:0	ग्रेटर रिह्या	2:2:0
	स्लॉथ बीयर	1:1:0	डार्विन्स रिह्या अथवा लेसर रिह्या	2:2:0
14.	रोहतक चिड़ियाघर, रोहतक, हरियाणा		राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली	
	कॉमन लंगूर	0:1:0	सिल्वर फीजेंट	2:2:0
	बारहेडेड गूज	3:3:0	अलबिनो ब्लैकबक	2:4:0
	चिंकारा	0:1:0	—	—
15.	टाईगर लॉयन सफारी, शिमोगा, कर्नाटक		डॉ. के. शिवरमा कारंत पिलिकुला बायोलॉजिकल पार्क, मैंगलुरु, कर्नाटक	
	लेपर्ड कैट	1:0:0	—	—
16.	इंदिरा गाँधी जूलॉजिकल पार्क, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश		श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क, तिरुपति, आंध्र प्रदेश	
	स्ट्रिप्ड हाईना	1:1:0	ग्रे जंगल फाउल	1:2:0
	इण्डियन गौर	1:0:0	वाईल्ड डॉग	1:1:0
	जैकाल	0:2:0	इण्डियन गौर	0:1:0
	—	—	चौसिंघा	1:1:0
17.	अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, चेन्नई, तमिलनाडु		ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	
	हिप्पोपोटैमस	1:1:0	—	—

क्र.	चिड़ियाघर का नाम एवं दिए जाने वाले वन्यजीव का नाम (नर:मादा:अज्ञातलिंगी)	चिड़ियाघर का नाम एवं दिए जाने वाले वन्यजीव का नाम (नर:मादा:अज्ञातलिंगी)		
18.	नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल गार्डन्स, मैसूरु, कर्नाटक		
	सारस क्रेन	1:1:0	—	—
19.	राजीव गाँधी जूलॉजिकल पार्क एण्ड वाईल्डलाईफ रिसर्च सेंटर, पुणे, महाराष्ट्र	जूलॉजिकल पार्क, तिरुवनंतपुरम, केरल		
	बारकिंग डीयर	1:1:0	गौर	1:1:0
	अफ्रीकन ग्रे पैरट	1:0:0	स्ट्रिप्ड हाईना	1:1:0
20.	एम.सी.जूलॉजिकल पार्क, छतबीर, पंजाब	श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल गार्डन्स, मैसूरु, कर्नाटक		
	ब्लैकबक — व्हाइट	1:2:0	गौर	0:1:0
	माउस डीयर	0:1:0	इण्डियन ग्रे वूल्फ	1:1:0
	हिमालयन गोरल	0:1:0	हिमालयन गोरल	1:0:0
	सारस क्रेन	1:1:0	सारस क्रेन	2:0:0
	कलीज फीजेंट	2:2:0	ब्लैक स्वान	2:2:0
	कॉम्ब डक	2:2:0	लेडी एमहर्स्ट फीजेंट	1:1:0
	लेसर व्हिसलिंग टील	1:2:0	—	—
21.	एम.सी.जूलॉजिकल पार्क, छतबीर, पंजाब	इंदिरा गाँधी जूलॉजिकल पार्क, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश		
	घड़ियाल	2:0:0	ढोल	1:1:0
	हाईना	1:0:0	हाईना	1:0:0
	रेड जंगल फाउल	2:4:0	स्पॉट-बिल्ड पेलिकन	0:0:2
	लेसर व्हिसलिंग टील	1:2:0	बॉनट मकाँक	1:1:0
	बार्न ऑउल	1:2:0	—	—
22.	श्री अटल विहारी वाजपेई जूलॉजिकल पार्क, कमलापुर, कर्नाटक	बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बैंगलुरु, कर्नाटक		
	गोल्डन जैकाल	1:1:0	—	—
23.	वाईल्डलाईफ रेस्क्यू सेंटर, गोरेवाड़ा, महाराष्ट्र	वीरमाता जीजाबाई भोंसले उद्यान एण्ड जू, मुंबई, महाराष्ट्र		
	लेपर्ड	1:1:0	—	—

क्र.	चिड़ियाघर का नाम एवं दिए जाने वाले वन्यजीव का नाम (नर:मादा:अज्ञातलिंगी)	चिड़ियाघर का नाम एवं दिए जाने वाले वन्यजीव का नाम (नर:मादा:अज्ञातलिंगी)
	स्लॉथ बीयर 1:0:0	— —
24.	श्री चामरोजन्द्र जूलॉजिकल गार्डन्स, मैसुरु, कर्नाटक	कित्तूर रानी चेन्नम्मा मिनी जू, बेलागवि, कर्नाटक
	स्लॉथ बीयर 1:1:0	— —
	बंगाल टाईगर 0:1:0	— —
25.	नाहरगढ़ प्राणी उद्यान, जयपुर, राजस्थान	बालासाहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क, नागपुर, महाराष्ट्र
	ग्रे वूल्फ 1:1:0	— —
	सांबर 0:4:0	— —
	— —	वाईल्डलाईफ रेस्क्यू सेंटर, गोरेवाड़ा, महाराष्ट्र
	— —	बंगाल टाईगर 0:2:0
26.	महाराजा मार्टंड सिंह जूदेव व्हाईट टाईगर सफारी एण्ड जू मुकुन्दपुर, सतना, मध्य प्रदेश	माचिया जैविक उद्यान, जोधपुर, राजस्थान
	— —	चिकारा 1:4:0
27.	बालासाहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क, नागपुर, महाराष्ट्र	राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली
	बंगाल टाईगर 2:0:0	डीयर ब्रो एन्टर्लड 4:4:0
	स्लॉथ बीयर 1:1:0	ब्लैकबक (अलबिनो) 4:6:0
	— —	ब्लैकबक 4:6:0
	— —	बंगाल फॉक्स 2:2:0
	— —	जैकाल 1:2:0
	— —	सिवेट कॉमन पॉम 2:2:0
	— —	बार्किंग डीयर 10:10:0
	— —	डीयर सांबर 4:4:0
28.	राजीव गाँधी जूलॉजिकल पार्क एण्ड वाईल्डलाईफ रिसर्च सेंटर, पुणे, महाराष्ट्र	सिद्धार्थ गार्डन जू, औरंगाबाद, महाराष्ट्र
	नीलगाय 0:2:0	बंगाल टाईगर 1:1:0

क्र.	चिड़ियाघर का नाम एवं दिए जाने वाले वन्यजीव का नाम (नर:मादा:अज्ञातलिंगी)	चिड़ियाघर का नाम एवं दिए जाने वाले वन्यजीव का नाम (नर:मादा:अज्ञातलिंगी)		
29.	राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली	महाराजा मार्टिंड सिंह जूदेव व्हाईट टाईगर सफारी एण्ड जू, मुकुन्दपुर, सतना, मध्य प्रदेश		
	कॉमन पॉम सिवेट	2:2:0	—	—
	ऐमू	1:1:0	—	—
	ब्लैकबक (ल्यूकिसटिक)	1:2:0	—	—
	ब्लैकबक	1:1:0	—	—
30.	राजीव गाँधी जूलॉजिकल पार्क एण्ड वाईल्डलाईफ रिसर्च सेंटर, पुने, महाराष्ट्र	असम स्टेट जू कम बोटैनिकल गार्डन, असम		
	बंगाल टाईगर	1:0:0	लेपर्ड कैट	1:1:0
	—	—	जंगल कैट	1:1:0
31.	राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली	सक्करबाग जूलॉजिकल पार्क, जूनागढ़, गुजरात		
	—	—	एशियाँटिक लॉयन	1:2:0
	—	—	फोर हार्नड एन्टीलोप	0:1:0
	—	—	रेड ईयरड स्लाइडर	0:1:0
	—	—	फीजेंट लेडी एमहर्स्टस्	0:1:0
	—	—	सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क, केवडिया, गुजरात	
	हिप्पोपोटैमस	1:1:0	—	—
	ब्रो एन्टर्लड डीयर	3:2:0	—	—
32.	इंदिरा गाँधी जूलॉजिकल पार्क, आंध्र प्रदेश	अइजोल जूलॉजिकल पार्क, मिजोरम		
	—	—	स्टंप-टेलड मर्कॉक	4:4:0
	—	—	एशियन ब्राउन टॉरटॉईज	2:2:0
	—	—	हिमालयन ब्लैक बीयर	1:0:0
	—	—	असामीज मर्कॉक	1:1:0
33.	नेहरू जूलॉजिकल पार्क, हैदराबाद, तेलंगाना	पिलिकुला बायोलॉजिकल पार्क, मैंगलुरु, कर्नाटक		
	माउस डीयर	1:3:0	ढोल	2:2:0
	लार्ज एग्रेट	0:0:6	रेटिकुलेटेड पॉइथन	2:2:0

क्र.	चिड़ियाघर का नाम एवं दिए जाने वाले वन्यजीव का नाम (नर:मादा:अज्ञातलिंगी)	चिड़ियाघर का नाम एवं दिए जाने वाले वन्यजीव का नाम (नर:मादा:अज्ञातलिंगी)		
	ग्रे पेलिकन	0:0:2	व्हिटाकर्स बोआ	2:2:0
34.	नंदनकानन जू एण्ड जंगल सफारी, नया रायपुर, छत्तीसगढ़		नहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर, राजस्थान	
	फोर हार्न्ड एन्टीलोप	2:2:0	चिंकारा	2:2:0
35.	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान एवं चिड़ियाघर, भोपाल, मध्य प्रदेश		सक्करबाग जूलॉजिकल पार्क, जूनागढ़, गुजरात	
	—	—	एशियाँटिक लॉयन	2:2:0
36.	सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क, गुजरात		सक्करबाग जूलॉजिकल पार्क, जूनागढ़, गुजरात	
	—	—	हिप्पोपोटैमस	1:0:0
	—	—	स्लॉथ बीयर	1:1:0
	—	—	अफ्रीकन वाईल्ड डॉग	1:1:0
	—	—	इण्डियन ग्रे वूल्फ	1:2:0
	—	—	थामिन डीयर	2:0:0
	—	—	हाईना	1:1:0
37.	सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क, गुजरात		इंद्रोदा नेचर पार्क, गाँधीनगर, गुजरात	
	बंगाल टाईगर	0:1:0	बंगाल टाईगर	0:1:0
38.	सक्करबाग जूलॉजिकल पार्क, जूनागढ़, गुजरात		श्री सयाजीबाग जू, गुजरात	
	एशियाँटिक लॉयन	1:1:0	—	—
39.	सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क, गुजरात		इंद्रोदा नेचर पार्क, गाँधीनगर, गुजरात	
	—	—	मार्श क्रकोडायल	0:0:10
40.	सक्करबाग जूलॉजिकल पार्क, जूनागढ़, गुजरात		राजकोट जूलॉजिकल पार्क, राजकोट, गुजरात	
	इण्डियन वाईल्ड ऐस	1:1:0	इण्डियन ग्रे वूल्फ	1:0:0
	इण्डियन ग्रे वूल्फ	0:1:0	—	—
	फोर हार्न्ड एन्टीलोप	1:1:0	—	—
41.	राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली		ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	

क्र.	चिड़ियाघर का नाम एवं दिए जाने वाले वन्यजीव का नाम (नर:मादा:अज्ञातलिंगी)	चिड़ियाघर का नाम एवं दिए जाने वाले वन्यजीव का नाम (नर:मादा:अज्ञातलिंगी)		
	हिप्पोपोटैमस	2:0:0	—	—
	बारकिंग डीयर	10:20:0	—	—
	ब्रो एन्टल्ड डीयर	10:10:0	—	—
	सांबर डीयर	5:10:0	—	—
	ब्लैकबक	20:20:0	—	—
	ब्लैकबक ल्यूकिसटिक	10:10:0	—	—
	स्पॉटड डीयर	10:10:0	—	—
	जैकाल	2:3:0	—	—
	कॉमन पॉम सिवेट	2:4:0	—	—
	इण्डियन फॉक्स	2:2:0	—	—
	पेंटेड स्टॉक	0:0:30	—	—
	नीलगाय	10:10:0	—	—
	पॉइथन	0:0:5	—	—
42.	एम.सी. जूलॉजिकल पार्क, छतबीर, पंजाब	लुधियाना जू, पंजाब		
	बंगाल टाईगर	1:0:0	बंगाल टाईगर	0:1:0
43.	संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, बिहार	सक्करबाग जूलॉजिकल पार्क, जूनागढ़, गुजरात		
	ग्रेटर वन हार्ड राइनोसॉरस	0:1:0	एशियाटिक लॉयन	2:4:0
44.	बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बैंगलुरु, कर्नाटक	ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात		
	हिप्पोपोटैमस	3:2:0	—	—
45.	ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	आम्टेस एनिमल आर्क, हेमलकासा, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र		
	—	—	स्लॉथ बीयर	0:2:0
	—	—	रीसस मकॉक	4:4:0
46.	कानन पेण्डारी प्राणी उद्यान, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	भगवान बिरसा जैविक उद्यान, राँची, झारखण्ड		
	—	—	ऑस्ट्रिच	1:0:0

क्र.	चिड़ियाघर का नाम एवं दिए जाने वाले वन्यजीव का नाम (नर:मादा:अज्ञातलिंगी)	चिड़ियाघर का नाम एवं दिए जाने वाले वन्यजीव का नाम (नर:मादा:अज्ञातलिंगी)
47.	कानन पेण्डारी प्राणी उद्यान, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	पिपली चिड़ियाघर, पिपली, हरियाणा
	—	—
	एशियाटिक लॉयन	1:0:0
48.	नंदनवन जंगल सफारी, नया रायपुर, छत्तीसगढ़	श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल पार्क, मैसुरु, कर्नाटक
	एशियाटिक लॉयन	0:1:0
	ढोल	1:1:0
49.	सक्करबाग जूलॉजिकल पार्क, जूनागढ़, गुजरात	कमला नेहरू जूलॉजिकल गार्डन, अहमदाबाद, गुजरात
	एशियाटिक लॉयन	1:1:0
	—	—
50.	कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय, इंदौर, मध्य प्रदेश	लघु चिड़ियाघर, भिवानी, हरियाणा
	एशियाटिक लॉयन	1:0:0
	एशियाटिक लॉयन	1:0:0
51.	कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय, इंदौर, मध्य प्रदेश	श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल पार्क, मैसुरु, कर्नाटक
	व्हाईट पीफाउल	1:1:0
	—	—
	इण्डियन ग्रे वूल्फ	1:1:0
	—	—
52.	महात्मा गाँधी जू, सोलापुर, महाराष्ट्र	राजीव गाँधी जूलॉजिकल पार्क, पुणे, महाराष्ट्र
	मार्श क्रोकोडायल	1:0:0
	—	—
53.	सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क, केवडिया, गुजरात	नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
	—	उ—
	घड़ियाल	2:4:0
54.	रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर, टूटीकंडी, शिमला, हिमाचल प्रदेश	ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर (सेटेलाइट रेस्क्यू फैसिलिटी), जामनगर, गुजरात
	एशियाटिक ब्लैक बीयर	2:2:0
	—	—

4.5.2 भारतीय एवं विदेशी चिड़ियाघरों के मध्य विनिमय प्रस्ताव

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, भारतीय और विदेशी चिड़ियाघरों के मध्य वन्यजीवों के अधिग्रहण/स्थानांतरण हेतु निम्नलिखित 10 अनुमतियाँ प्रदान की गईं:-

क्र.	चिड़ियाघर का नाम एवं दिए जाने वाले वन्यजीव (नर:मादा:अज्ञात लिंगी:कुल)	चिड़ियाघर का नाम एवं दिए जाने वाले वन्यजीव (नर:मादा:अज्ञात लिंगी:कुल)
1.	पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, पश्चिम बंगाल	रॉयल रॉटरडैम जूलॉजिकल एण्ड बोटैनिकल

			गार्डन्स, रॉटरडैम, नीदरलैंड्स
	—	—	हिमालयन रेड पांडा 0:1:0:1 (276098106877153) अंतर्राष्ट्रीय स्टडबुक संख्या 192043
2.	श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल गार्डन्स, मैसुरु, कर्नाटक		जूपार्क जाजेड, चेक रिपब्लिक
	—	—	रेड-नेक्ड वल्लाबी 1:2:0:3 203093490014971 (♂), 203093490015080 (♀), 203093490015079 (♀)
3.	श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल गार्डन्स, मैसुरु, कर्नाटक		सिंगापुर जूलॉजिकल गार्डन्स, सिंगापुर
	—	—	हिमाद्रिस बबून 5:8:2:15 (00-07बी1-1364, 00-07एएफ-सी121, 00-07बी0-12ई9, 00-07बी0-0एफ56, 00-07एफ-डी280, 00-07एफ-सीडीडीए, 00-07एफ-डी162, 00-07एफ-डी01सी, 00-07एफ-सीई87, 00-07बी0-ई13ए, 00-07बी1-1391, 00-07बी0-153एफ, 00-07बीसी-5एफ7ए, 00-07बीसी-6सीई3, 00-07बीसी-6113)
4.	श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल गार्डन्स, मैसुरु, कर्नाटक		जूपार्क जाजेड, चेक रिपब्लिक
	—	—	रिंग-टेल्ड लैमूर 2:3 203093490017277 (♂), 203093490017280 (♂), 203093490017279 (♀), 203093490017278 (♀), 203093490017276 (♀)
5.	वीरमाता जीजाबाई भोंसले उद्यान एण्ड जू मुंबई, महाराष्ट्र		इज़राइल पेलेड लिमिटेड (सफारी), इज़राइल के यादगार में जूलॉजिकल सेंटर रमत गन
	—	—	ग्रान्ट्स जेब्रा 2:2:0:4 900163000133471 (♂), 900163000133472 (♂), 900163000133473 (♀), 900163000133474 (♀)
6.	ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात		फॉना जू मैक्सिको
	—	—	जिराफ 5:7:0
	—	—	जेब्रा 20:30:0

			सेबल	10:10:0
			बोंगो	10:10:0
			एडैक्स	10:10:0
			जेम्सबॉक	10:10:0
			रेड डीयर	4:6:0
			सिका डीयर	4:6:0
			स्पाइडर मंकी	25:25:0
			सल्फर-ब्रीस्टेड टौकन (कील-बिल्ड टौकन)	15:15:0
			रेड कंगारू	10:10:0
			बिगहॉर्न शीप	10:20:0
7.	पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जीलिंग, पश्चिम बंगाल		तारोंगा जू, आस्ट्रेलिया	
	—	—	हिमालयन रेड पांडा	1:0:0 (0007बीएडी1एई)
8.	श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल गार्डन्स, मैसूरु, कर्नाटक		सिंगापुर जूलॉजिकल गार्डन्स, सिंगापुर	
	स्ट्रिप्ड हाईना	3:0:0	—	—
9.	नंदनकानन बायोलॉजिकल पार्क, ओडिशा		सिंगापुर जूलॉजिकल गार्डन्स, सिंगापुर	
	घड़ियाल	0:2:0	घड़ियाल	1:0:1
10.	इंदिरा गाँधी जूलॉजिकल पार्क, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश		जू जिलिन-लेसना, चेक रिपब्लिक	
	पेंटेड स्टॉक	3:3:0:6	रेड-नेकड वल्लाबी	2:2:0:4 (244, 245, 246, 247)
	लेसर एडजुटेंट	0:0:1:1	मीरकैट	2:2:0 (214 170, 217 171, 218 180, 218 181)
	—	—	स्कारलेट मकाउ	2:2:0 (221, 159, 221, 153)
	—	—	व्हाइट-विंगड वुड डक	2:2:0 (73, 74, 75, 76)

4.5.3 रेस्क्यूड वन्यजीवों को चिड़ियाघरों में रखने की अनुमति

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने उपरोक्त वन्यजीव विनियम प्रस्तावों के अतिरिक्त, भारतीय चिड़ियाघरों द्वारा रेस्क्यूड वन्यजीवों के अधिग्रहण के संबंध में निम्न प्रस्तावों को भी अनुमोदित किया है:-

1. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, भुवनेश्वर, ओडिशा द्वारा स्लॉथ बीयर (2:5:0:7)(*मेल्सर्स अर्सिनस*) के अधिग्रहण की अनुमति वन्यजीवों के स्थायी अंकन और अप्रजनन सहित ऑफ-डिस्प्ले हाउसिंग के तहत दी है।
2. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने राजीव गाँधी जूलॉजिकल पार्क एण्ड वाइल्डलाईफ रिसर्च सेंटर, पुणे, महाराष्ट्र द्वारा आम्डेस एनीमल आर्क, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र से इण्डियन जायंट स्क्वैरल (1:1:0:2) के अधिग्रहण की अनुमति केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के विचारार्थ दाता और प्राप्तकर्ता चिड़ियाघरों द्वारा उक्त वन्यजीवों के अधिग्रहण, स्थायी अंकन, संरक्षण प्रजनन के लिए वन्यजीवों की आनुवंशिक उपयुक्तता और प्रजातियों के संरक्षण प्रजनन प्रबंधन योजना पर विवरण प्रस्तुत करने के अधीन दी है। इसके अलावा, वन्यजीवों को ऑफ-डिस्प्ले हाउसिंग में रखा जाएगा।
3. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली द्वारा बालासाहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क, नागपुर, महाराष्ट्र से (0:2:0:2) बंगाल टाइगर (*पैंथेरा टाइग्रिस एसएसपी टाइग्रिस*) एवं (1:1:0:2) स्लॉथ बीयर (*मेल्सर्स अर्सिनस*) के अधिग्रहण की मंजूरी प्रदर्शन, शिक्षा एवं प्रजनन के उद्देश्य से दी है।
4. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर (सेटेलाइट रेस्क्यू फैसिलिटी), जामनगर, गुजरात द्वारा रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर, टूटीकंडी से (1:2:0:3) लेपर्ड (*पैंथेरा पार्डस*) एवं धौलाधर नेचर पार्क, गोपालपुर, हिमाचल प्रदेश से (0:3:0:3) लेपर्ड (*पैंथेरा पार्डस*) के स्थानांतरण एवं अधिग्रहण की अनुमति बिना किसी प्रजनन की अनुमति वाले वन्यजीवों के स्थायी अंकन और ऑफ-डिस्प्ले आवास के अधीन शर्त दी है कि इन वन्यजीवों का प्रजनन नहीं कराया जाएगा।
5. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर (सेटेलाइट रेस्क्यू फैसिलिटी), जामनगर, गुजरात द्वारा आम्डेस एनीमल आर्क, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र से लेपर्ड (*पैंथेरा पार्डस*)(1:2:0:3) एवं स्लॉथ बीयर (*मेल्सर्स अर्सिनस*) के स्थानांतरण एवं अधिग्रहण की अनुमति बिना किसी प्रजनन के वन्यजीव के स्थायी अंकन और ऑफ-डिस्प्ले हाउसिंग के अधीन दी है।
6. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल गार्डेन्स, मैसूरु, कर्नाटक को उनकी दीर्घकालिक देखभाल के लिए (4:4:0:8) बंगाल टाइगर (*पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस*), (0:1:0:1) एशियन ऐलीफैंट (*एलीफास मैक्सीमस*), (1:1:0:2) स्लॉथ बीयर (*मेल्सर्स अर्सिनस*), (1:0:0:1) इण्डियन मुंटजैक (*मुंटियाकस मुंटजैक*) और (2:0:0:2) लेपर्ड (*पैंथेरा पार्डस*) के अधिग्रहण को पूर्व में जारी निदेशों के अनुसार एशियन ऐलीफैंट के लिए आवास सुविधाओं के सुधार हेतु अनुमोदन और प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले उक्त वन्यजीवों से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने के साथ-साथ अधिशेष एशियन ऐलीफैंट के हस्तांतरण के लिए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधीन कार्यान्वयन स्वीकृति दी।

7. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क, केवडिया, गुजरात द्वारा इंद्रोदा नेचर पार्क, गाँधीनगर, गुजरात से (0:0:10:10) मार्श क्रोकोडायल (*क्रोकोडायलस पेलस्ट्रिस*) के अधिग्रहण को वन्यजीवों के लिंग निर्धारण एवं अंकन और इस संबंध में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अधीन मंजूरी दी है।
8. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात द्वारा आम्टेस एनीमल आर्क, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र से (3:3:2) बंगाल पॉरक्यूपाईन (*हिस्ट्रिक्स इण्डिका*) के अधिग्रहण को उक्त वन्यजीवों के स्थायी अंकन और ऑफ-डिस्ट्रे आवास के अधीन मंजूरी दी है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उक्त वन्यजीव प्रजनन न करें।
9. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने इस संबंध में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अधीन राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली द्वारा एक रेस्क्यूड नर बोनट मकॉक (*मकाका रेडियाटा*) (1:0:0:1) के अधिग्रहण को मंजूरी दी है।

4.5.4 भारतीय चिड़ियाघरों से/अथवा को वन्यजीवों का स्थानांतरण प्रस्ताव

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने भारतीय चिड़ियाघरों से/अथवा को वन्यजीवों के स्थानांतरण के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव को मंजूरी दी है:-

1. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने राजीव गाँधी जूलॉजिकल पार्क एण्ड वाईल्डलाईफ रिसर्च सेंटर, पुणे, महाराष्ट्र से सह्याद्री टाईगर रिजर्व, महाराष्ट्र को (17:13:0:30) स्पॉटड डीयर (*एक्सिस एक्सिस*) और (4:6:0:10) सांबर (*रुसा यूनिकलर*) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के वैधानिक प्रावधानों, आईयूसीएन दिशा-निर्देशों और मानक शर्तों के अनुपालन के अधीन प्रस्ताव को अनुमति और अधिशेष जारी करने हेतु अनुमति प्रदान किया है।
2. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने नंदनवन जू एण्ड जंगल सफारी, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ से गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ को (40:60:0:100) स्पॉटड डीयर (*एक्सिस एक्सिस*) और (4:6:0:10) नीलगाय (*बोसेलाफस ट्रैगोकैमैलस*) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के वैधानिक प्रावधानों, आईयूसीएन दिशा-निर्देशों और मानक शर्तों के अनुपालन के अधीन प्रस्ताव को अनुमति और अधिशेष जारी करने हेतु अनुमति प्रदान किया है।
3. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने गोरेवाड़ा वाईल्डलाईफ रेस्क्यू सेंटर, महाराष्ट्र से (0:5:0:5) रीसस मकॉक (*मकाका मुल्लाटा*), (2:3:0:5) इण्डियन लंगूर (*सेमनोपिचेकस इंटेलस*) और (3:6:0:9) नीलगाय (*बोसेलाफस ट्रागोकैमैलस*) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के वैधानिक प्रावधानों, आईयूसीएन दिशा-निर्देशों और मानक शर्तों के अनुपालन के अधीन प्रस्ताव को अनुमति और अधिशेष जारी करने हेतु अनुमति प्रदान किया है।

4. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने कानन पेण्डारी प्राणी उद्यान, बिलासपुर से गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ के लिए 14:7:0:21 नीलगाय (बोसेलाफस ट्रेगोकेमेलस) के स्थानांतरण के लिए कुछ शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान किया है।
5. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने कानन पेण्डारी प्राणी उद्यान, बिलासपुर से अचानकमार टाईगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ के लिए 35:30:0:65 चीतल (एक्सिस एक्सिस) के स्थानांतरण के लिए कुछ शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान किया है।
6. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने राजस्थान के चिड़ियाघरों से राजस्थान के संरक्षित क्षेत्रों में अनगुलेट्स के स्थानांतरण के लिए प्रस्ताव को अनुमति दी है और कुछ शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान किया है:-

चिड़ियाघर/जैविक उद्यान	प्रजाति	कुल (नर:मादा) वन्यजीवों की संख्या	छोड़ने का स्थान
नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर, राजस्थान	ब्लैकबक (एन्टीलोप सर्वीकापरा)	13 (7:6)	जयपुर में मुहाना वन क्षेत्र
	चीतल (एक्सिस एक्सिस)	100 (33:67)	नाहरगढ़ अभ्यारण्य (बीड पापड़ क्षेत्र) एवं जयपुर जिले में झालाना वन क्षेत्र
	सांबर (रुसा यूनीकलर)	17(8:9)	रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य एवं बूंदी जिले के निकट वन क्षेत्र
माचिया जैविक उद्यान, जोधपुर, राजस्थान	ब्लैकबक (एन्टीलोप सर्वीकापरा)	34 (10:24)	मुकन्दरा टाईगर रिजर्व जिला कोटा के निकट वन क्षेत्र
	चीतल (एक्सिस एक्सिस)	34 (9:25)	जिला कोटा में मुकन्दरा टाईगर रिजर्व के निकट वन क्षेत्र एवं जिला बूंदी में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के निकट वन क्षेत्र
अभेड़ा जैविक उद्यान, कोटा, राजस्थान	ब्लैकबक (एन्टीलोप सर्वीकापरा)	4 (2:2)	कोटा जिला में मुकन्दरा टाईगर रिजर्व के निकट वन क्षेत्र
	चीतल (एक्सिस एक्सिस)	21 (7:14)	कोटा जिला में मुकन्दरा टाईगर रिजर्व के निकट वन क्षेत्र
सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, उदयपुर	ब्लैकबक (एन्टीलोप सर्वीकापरा)	11 (5:6)	कोटा जिला में मुकन्दरा टाईगर रिजर्व के निकट वन

			क्षेत्र
	चीतल (<i>एक्सिस एक्सिस</i>)	40 (18:22)	कुंभलगढ़ अभ्यारण्य
	सांबर (<i>रुसा यूनीकलरे</i>)	5 (2:3)	कुंभलगढ़ अभ्यारण्य

4.6 वंशावली पुस्तक (स्टडबुक) का रख-रखाव

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38-सी के तहत सौंपे गए कार्यों में से एक को पूरा करने के लिए लुप्तप्राय प्रजातियों की राष्ट्रीय स्टडबुक को अद्यतन करने की शुरुआत की है। स्नो लेपर्ड (*पेंथेरा यूनिया*), वेस्टर्न ट्रेगोपैन (*ट्रेगोपैन मेलानोसेफालस*), इण्डियन पेंगोलिन (*मेनिस क्रैसिकौडाटा*) के लिए स्टडबुक को अपडेट कर दिया गया है और वित्तीय वर्ष 2021-22 में ब्लिथ्स ट्रेगोपैन (*ट्रेगोपन ब्लाइथी*) के लिए स्टडबुक बनाई गई थी।

संरक्षण प्रजनन के लिए पहचान की गई अन्य प्रजातियों के लिए समन्वयक और भाग लेने वाले चिड़ियाघरों के रूप में पहचाने जाने वाले भारतीय चिड़ियाघरों के साथ पत्राचार भी संबंधित स्टडबुक अपडेशन के लिए किया जा रहा है। इसके समानांतर, सचिवालय संबंधित प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय स्टडबुक रखवालों के साथ भी संपर्क कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय चिड़ियाघरों में रखे गए वन्यजीवों की जानकारी को अंतर्राष्ट्रीय स्टडबुक में सटीक रूप से शामिल किया गया है।

4.7 चिड़ियाघरों की उन्नत योजना प्रक्रिया

चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 के नियम 10.3(1) के प्रावधानों के अनुसार, अपने दीर्घकालिक विकास के लिए देश के सभी मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों को अपने मास्टर प्लान तैयार करने हैं और यह चिड़ियाघर केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित होने चाहिए। यह मास्टर प्लान बीस वर्ष की अवधि के लिए तैयार किया गया है जिसे हर 10 साल में संशोधित किया जाएगा। यह प्रावधान वैज्ञानिक पद्धति पर चिड़ियाघर के नियोजित विकास के लिए किया गया है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, मास्टर प्लान तैयार करने के लिए चिड़ियाघरों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

4.7.1 मास्टर प्लान

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में निम्न 10 चिड़ियाघरों के मास्टर प्लान निर्धारित शर्तों के अनुपालन के अधीन अनुमोदित किए हैं:-

क्र.	चिड़ियाघर का नाम
1.	वर्धमान जूलॉजिकल पार्क, पश्चिम बंगाल
2.	कानन पेण्डारी प्राणी उद्यान, छत्तीसगढ़
3.	कुरुम्बापट्टी जूलॉजिकल पार्क, सेलम, तमिलनाडु

क्र.	चिड़ियाघर का नाम
4.	जंगलमहल जूलॉजिकल पार्क, पश्चिम बंगाल
5.	आम्टेस एनिमल आर्क, महाराष्ट्र
6.	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान एवं चिड़ियाघर, मध्य प्रदेश
7.	इंदिरा गाँधी जूलॉजिकल पार्क, आंध्र प्रदेश
8.	धौलाधर नेचर पार्क, हिमाचल प्रदेश
9.	नंदन वन जंगल सफारी, नया रायपुर, छत्तीसगढ़
10.	माचिया जैविक उद्यान, जोधपुर, राजस्थान

4.7.2 मास्टर (ले-आउट) प्लान

मास्टर (ले-आउट) प्लान चिड़ियाघर के मास्टर प्लान का एक हिस्सा है जो चिड़ियाघर के विभिन्न बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं के स्थान को इंगित करता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने 10 मास्टर प्लान को अनुमोदित किया है जिनमें नए चिड़ियाघरों के लिए मास्टर (ले-आउट) प्लान एवं निम्न चिड़ियाघरों के संशोधित मास्टर (ले-आउट) प्लान सम्मिलित हैं:-

क्र.	चिड़ियाघर का नाम एवं स्थान
1.	ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात का ले-आउट प्लान एवं एनीमल कलेक्शन प्लान

4.8 उपयोगिता प्रमाणक

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण किसी भी लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र के निपटान का प्रयास जारी रखता है और चालू वित्तीय वर्ष तक रुपये 2.56 लाख के एक उपयोगिता प्रमाण-पत्र जोकि बाद में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, जम्मू और कश्मीर से लिया जाएगा को छोड़कर सभी का निस्तारण किया है।

4.9 भारतीय चिड़ियाघरों में वर्ष 2021-22 के लिए वन्यजीवों की वार्षिक सूची

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 के नियम 11 के अनुसार वन्यजीवों की वार्षिक और त्रैमासिक सूची ऑनलाइन जमा करने के उद्देश्य से एक सुरक्षित पोर्टल के माध्यम से देश में सभी मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों के लिए अद्वितीय खाते बनाए।

तदनुसार, 71 मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों ने उपरोक्त पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2021-22 हेतु ऑनलाइन वार्षिक सूची प्रस्तुत की है। इसे एकल दस्तावेज के रूप में संकलित किया गया है और केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की वेबसाइट पर डाला गया है।

5. मानव संसाधन विकास

5.1 प्रशिक्षण, संगोष्ठी एवं कार्यशाला

5.1.1 गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र (वीसीबीसी), पिंजौर हरियाणा में 20 और 21 सितंबर, 2021 को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण समन्वित गिद्ध संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के लिए तकनीकी कार्यशाला आयोजित हुई। 2006 में शुरू किया गया गिद्ध संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम एक दशक से अधिक समय से चल रहा है। 2014 में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के गिद्ध संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के लिए संरक्षण प्रजनन पर विशेषज्ञ समूह की एक समन्वय बैठक आयोजित की गई थी। इस तकनीकी कार्यशाला की योजना 2014 की बैठक से संबंधित आगे की कार्यवाही हेतु बनाई गई थी। तकनीकी कार्यशाला में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं हरियाणा के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, मुख्य वन संरक्षक एवं चंडीगढ़ के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, वन उप-महानिरीक्षक (मुख्यालय), केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, निदेशक, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (बीएनएचएस), निदेशक, केन्द्र प्रबंधक, समन्वयक और भाग लेने वाले चिड़ियाघरों के पशु-चिकित्सक/जीव-विज्ञानी, और बीएनएचएस-राज्य सरकार द्वारा संचालित गिद्ध प्रजनन केन्द्रों ने भाग लिया।

5.1.2 सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क, केवडिया, गुजरात में चिड़ियाघर निदेशकों और पशु-चिकित्सकों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन, 10 एवं 11 अक्टूबर, 2021 को आयोजित हुआ। कार्यशाला में देशभर में सौ से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। सम्मेलन ने भारत में चिड़ियाघरों के प्रबंधन में विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा करने और विभिन्न विषयों में क्षमता वृद्धि के रास्ते विकसित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया।

5.1.3 कैप्टिव प्रबंधन पर पूर्वी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय जूकीपर प्रशिक्षण 24 से 26 नवंबर, 2021 तक नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 5 राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश (अंडमान और निकोबार) के 24 चिड़ियाघरों को 1-2 चिड़ियाघर जूकीपर भेजने के लिए आमंत्रित किया गया था। कार्यशाला में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के 16 चिड़ियाघरों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला में चिड़ियाघर में प्रजाति जीव विज्ञान और प्रजातियों के संवर्धन से संबंधित विषयों को शामिल किया गया। उपकरण के उपयोग, सरीसृपों को पकड़ने और संभालने, पक्षियों की पहचान और प्रबंधन, प्रबंधन और प्रजातियों में आहार सहित संवर्धन से संबंधित विषयों को शामिल किया गया था।

5.1.4 जूकीपर ट्रेनिंग ऑन कैप्टिव मैनेजमेंट ऑफ रेप्टाइल्स (2021-22) का आयोजन 1 से 3 दिसंबर, 2021 तक असम स्टेट जू कम बॉटैनिकल गार्डन, गुवाहाटी, असम में किया गया। पकड़ने और संभालने, उपकरणों के उपयोग, मैसमी बाड़े में संशोधन और आहार परिवर्तन आदि से संबंधित व्यावहारिक गतिविधियों को शामिल किया गया था।

5.1.5 9 से 11 मार्च, 2022 तक अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, वंडालुर में चिड़ियाघर जूकीपर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यशाला में दक्षिणी क्षेत्र के 14 चिड़ियाघरों के 32 जूकीपर शामिल हुए। कार्यशाला काफी हद तक अनुवादकों की मदद से स्थानीय भाषाओं में आयोजित की गई थी। पारिस्थितिकी पर विस्तृत सैद्धांतिक सत्रों के साथ और वर्गिकी के आगे वन्यजीव व्यवहार के साथ बड़े फेलिड, प्राइमेट प्रजातियों के संवर्धन के लिए व्यावहारिक गतिविधियों को शामिल किया गया था।

5.2 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

विजन प्लान (2021–2031) के हिस्से के रूप में भारतीय चिड़ियाघरों को वैश्विक मानकों के अनुरूप ऊपर उठाने के उद्देश्य से 15 चिड़ियाघरों को जोड़े (ट्विनिंग) के लिए पहचाना गया था। 15 चिड़ियाघरों में से, डॉ. नंदनी सलारिया, भा.व. से., क्यूरेटर, इंदिरा गाँधी जूलॉजिकल पार्क और श्री सेसरे अवेसानी ज़बोरा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पार्को नेचुरा विवा द्वारा 2 अक्टूबर, 2021 को उद्यानों के अनुसंधान के ग्यारहवें वार्षिक कांग्रेस में इंदिरा गाँधी जूलॉजिकल पार्क, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश और पार्को नेचुरा विवा, इटली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

विजन प्लान (2021–2031) के हिस्से के रूप में भारतीय चिड़ियाघरों को वैश्विक मानकों के अनुरूप ऊपर उठाने के उद्देश्य से 15 चिड़ियाघरों को ट्विनिंग (जोड़े) के लिए पहचाना गया था।

6. अनुसंधान एवं शिक्षा

चालू वित्त वर्ष के दौरान, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने भारतीय चिड़ियाघरों में शेरों, बाघों और तेंदुओं में सॉर्स-कोव2 के खिलाफ आईसीएआर – नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एक्विन्स द्वारा विकसित एक टीके के परीक्षण करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) प्रदान किया और आईवीआरआई एवं लैकोन्स के साथ चल रहे अनुसंधान प्रस्ताव को चालू वित्त वर्ष में आगे बढ़ाया।

इसके अलावा, चल रही अनुसंधान परियोजनाओं के तहत की गई गतिविधियों का विवरण नीचे दिया गया है:-

1. भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली

अ. 2021–22 के दौरान नेशनल रेफरल सेंटर परियोजना के तहत की गई गतिविधियाँ

- (i) वार्डललाईफ डीजीज आउटब्रेक में भाग लेना और पशु-चिकित्सा सहायता प्रदान करना।
- (ii) वन्यजीवों के पोस्टमॉर्टम के अनुसरण में निदान प्रदान करना।
- (iii) चिड़ियाघरों और सफारी से प्राप्त ऊतक के नमूनों की हिस्टोपैथोलॉजिकल जाँच।
- (iv) विभिन्न चिड़ियाघरों और सफारी से प्राप्त/एकत्रित किए गए नमूनों/शवों का माइक्रोबायोलॉजिकल, पैरासिटोलॉजिकल, हेमेटो-बायोकेमिकल और टॉक्सिकोलॉजिकल जाँच।
- (v) विभिन्न रोंगों के निदान के लिए पीसीआर, आरटी-पीसीआर आदि तकनीकों का अनुप्रयोग।
- (vi) चारे और नारे के नमूनों का पोषाहार विश्लेषण और पोषण संबंधी समस्याओं और उनके प्रबंधन पर सलाह देना।
- (vii) प्रशिक्षणों, सम्मेलनों/संगोष्ठियों में वैज्ञानिक व्याख्यान
- (viii) वन्यजीव पशु-चिकित्सकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (ix) वन्यजीवों में कोविड-19 की जाँच और निगरानी

क्र.	जाँच	संसाधित नमूनों की संख्या
1.	शव-परीक्षा	74
2.	हिस्टोपैथोलॉजी	1458 ऊतकों के 250 मामले
3.	जीवाणु विज्ञान और कवक	244
4.	कोविड-19 सहित वायरोलॉजी	1002
5.	सीरम विज्ञान	367 सीरम नमूने
6.	विष विज्ञान	142
7.	परजीवी विज्ञान	520
8.	हेमेटो-बायोकेमिकल एण्ड यूरिन	61
9.	गर्भावस्था के निदान के लिए हार्मोन प्रोफाइल	17
10.	तनाव हार्मोन हेतु गैर-आक्रामक निदान	110

निदान की गई कुछ महत्वपूर्ण स्थितियाँ थीं:-

1. एलीफैन्ट एंडोथेलियोट्रोपिक हर्पीज़ वायरस (ईईएचवी)
2. ब्लैक बीयर, लेपर्ड और हाईना में रेबीज
3. ब्लैक बक्स, स्पॉटड डीयर और हॉग डीयर में पैर एवं मुँह के रोग
4. गोरल में पीपीआर
5. पीकॉक्स में न्यूकैसल बीमारी
6. स्लॉथ बीयर्स, एलीफैन्ट्स और इण्डियन गौर में क्षय रोग।
7. एलीफैन्ट और ब्लैक बक में न्यूमोनिक पेस्टुरेलोसिस
8. गिद्धों में एस्परगिलीसिस (ए. फ्यूमिगेटस)
9. बाघ और तेंदुए में त्रिचिनेला एसपी. संक्रमण
10. लेपर्ड कैट और बाघ में कृमि निमोनिया
11. स्लॉथ बीयर में कोलेजनोसेलुलर कार्सिनोमा
12. स्लॉथ बीयर, तेंदुआ और बाघ में क्रॉनिक इंटरस्टीशियल नेफ्रैटिस, बंदरों, स्पॉटड डीयर, ब्लैक डीयर में आंत्रशोथ
13. हाथियों और स्लॉथ बीयर में तीव्र मायोकार्डियोपैथी
14. बंदरों में पाइरेथ्रोइड विषाक्तता और भारी धातु विषाक्तता।

ब. कैप्टिव वाईल्ड फेलिड्स में गैर-आक्रामक गर्भावस्था निदान-

कैप्टिव वन्यजीव फेलिड्स में फेसल प्रोगेसटेजेन्स (5 α -pregnan-3 α -ol-20-one) के लिए मात्रात्मक/गुणात्मक एलिसा विकसित करने के लिए कार्य किया गया था। परख को मानकीकृत करने के लिए, 5 α -pregnan-3 α -ol-20-one एचएस:एचआरपी संयुग्म कार्बोडाइमाइड विधि का उपयोग करके तैयार किया गया था। एंजाइम सब्सट्रेट 3,3',5,5' - टेट्रामेथिल-बेंजिडाइन (टीएमबी) का उपयोग करके तैयार किया गया था। एलिसा के अनुकूलन के लिए बिसात अनुमापन एंटीबॉडी और संयुग्म के लिए इष्टतम कमजोर पड़ने का निर्धारण करने के लिए किया गया था।

एलिसा को मानकीकृत किया गया था और चिड़ियाघर और राष्ट्रीय उद्यानों से मल के नमूने एकत्र करने का कार्य प्रगति पर है।

लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान/प्रयोगशाला के लिए केंद्र

अनुसंधान गतिविधियों को निम्नानुसार किया गया:-

1. वन्यजीवों के लिए जेनेटिक रिसोर्स बैंक-गतिविधियों में शामिल हैं:- (1) भविष्य के अध्ययन (आनुवंशिकी, प्रजनन) के लिए जैव-भंडार के रूप में काम करने के लिए विभिन्न वन्यजीवों से ऊतकों, गोनाड, युग्मक, रक्त का व्यवस्थित संग्रह और संरक्षण किया गया। नेहरू जूलॉजिकल पार्क, हैदराबाद से 6 और सिपाहीजला जूलॉजिकल पार्क, त्रिपुरा से एक नमूने एकत्र किए गए।

2. बाघ (*पैंथेरा टाइग्रिस एसएसपी टाइग्रिस*), क्लाउडेड लेपर्ड (नियोफेलिस नेबुलोसा) जैसे लुप्तप्राय वन्यजीवों की कोशिका संस्कृतियों की स्थापना वन्यजीवों की प्रजातियों के पुनरुत्थान के लिए जैव-संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। ऐसी कोशिका संवर्धन एक बार विकसित हो जाने पर भावी पीढ़ी के लिए तरल नाइट्रोजन में भंडारित किया जा सकता है। सात अलग-अलग वन्यजीव प्रजातियों के सात अलग-अलग वन्यजीवों के ऊतक के नमूने पोस्टमॉर्टम एकत्र किए गए थे, और इन ऊतकों को क्रायोप्रिजर्वड किया गया था।

सीएसआईआर-सीसीएमबी ने 13 जुलाई, 2020 को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से उचित प्राधिकृति के बाद वन्यजीवों में कोविड-19 के लिए परीक्षण शुरू किया है। मनुष्यों के मामले में, कोविड-19 का क्लिनिकल निदान नासो-फिरिन्जियल स्वेब का विश्लेषण करके किया जाता है। हालाँकि, विशेष रूप से वन्यजीवों के लिए कोविड-19 का निदान करने के लिए नासो-फिरिन्जियल स्वेब एकत्र करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है और इसीलिए वन्यजीवों हेतु वैकल्पिक नमूना संग्रह रणनीति विकसित करने की तत्काल आवश्यकता थी। नेहरू जूलॉजिकल पार्क, हैदराबाद, भारत में 8 एशियांटिक लॉयन्स में 24 अप्रैल, 2021 हल्का श्वसन संकट दिखाया। आरटी-पीसीआर द्वारा उनके नाक और मौखिक निर्वहन को सॉर्स-कोव-2 के लिए एकत्र और परीक्षण किया गया था। सभी आठ शेर सॉर्सकोव-2 के लिए सकारात्मक पाए गए।

7. प्रकाशन

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने निम्नलिखित प्रकाशन प्रकाशित किए हैं:-

7.1 केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का त्रैमासिक समाचार-पत्र

एक्स-सीटू अपडेट्स वाल्यूम 2, इशू 4 (अक्टूबर-दिसम्बर, 2021)

एक्स-सीटू अपडेट्स वाल्यूम 2, इशू 3 (जुलाई-सितम्बर, 2021)

एक्स-सीटू अपडेट्स वाल्यूम 2, इशू 2 (अप्रैल-जून, 2021)

- 7.2 एलीफैन्ट एंडोथेलियोट्रोपिक हर्पीज वायरस – रक्तस्त्रावी रोग से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (2021)।
- 7.3 वन्यजीव संरक्षण के लिए आनुवंशिक संसाधन बैंकों का परिचय (2021)।
- 7.4 कैप्टिव वन्यजीवों में कोविड-19 जाँच के लिए दिशा-निर्देश (2021)।
- 7.5 भारतीय पैंगोलिन के पुनर्वास के लिए फील्ड गाइड। नंदनकानन बायोलॉजिकल पार्क, भुवनेश्वर एवं केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली (2021)।
- 7.6 केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण समन्वित गिद्ध संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम (2021) के लिए तकनीकी कार्यशाला की कार्यवाही।
- 7.7 भारतीय चिड़ियाघरों के लिए विजन प्लान और केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का सुदृढीकरण (2021–2031) (2021)।
- 7.8 चिड़ियाघरों में जल, स्वच्छता और स्वच्छता के लिए दिशा-निर्देश। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार (2021)।
- 7.9 आज़ादी का अमृत महोत्सव संग्रह (मार्च 2021–सितम्बर 2021) एक कथा में संरक्षण आउटरीच यात्रा के 1000 घंटे से अधिक की यात्रा करता है जो आउटरीच गतिविधियों के पहले 25 सप्ताह की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए भारत की समृद्ध जैव-विविधता का जश्न मनाता है। संरक्षण आउटरीच अभियान 'कंजर्वेशन टू को-एगजिस्टेंस: द पीपुल कनेक्ट' उत्सव के 75 सप्ताह के दौरान भारत के 75 चिड़ियाघरों में 75 देशी, संरक्षण प्राथमिकता वाली प्रजातियों को प्रदर्शित करता है। आउटरीच गतिविधियों को करने के लिए देश के विभिन्न जैव-भौगोलिक क्षेत्रों (स्पीशीज-इन-फोकस) और संबंधित चिड़ियाघरों (जू-इन-फोकस) का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रजातियों की पहचान की गई थी। प्रजातियों एवं चिड़ियाघरों पर विशेषज्ञ वार्ता https://www.youtube.com/channel/UC9DQs7r_Ln34K5NdcFr0iBg?view_as=subscriber पर उपलब्ध है।
- 7.10 इण्डियन जू ईयर बुक वाल्यूम IX (2021)
- 7.11 विंटर मैनेजमेंट फॉर रेपटाईल्स इन इण्डियन जूज़ (2021)
- 7.12 एक्स-सीटू मैनेजमेंट ऑफ एंफिबियन्स इन इंडियन जूज़ (मार्च, 2022)

8. नीतिगत मामले

कुछ आयातित वन्यजीवों की कोविड-19 संक्रमण के प्रति उच्च संवेदनशीलता को देखते हुए और आयातित वन्यजीवों के माध्यम से कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिनांक 23.06.2021 को पत्र जारी किया एवं निर्देश दिया कि कोई भी मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर जो कि बाघ (पेंथेरा टाइग्रिस), शेर (पेंथेरा लियो), स्नो लेपर्ड (पेंथेरा यूनिया), प्यूमा (प्यूमा एसपीपी) और गोरिल्ला (गोरिल्ला एसपीपी) जैसे वन्यजीवों को आयात करना चाहता है उसे दिनांक 21 जून, 2021 को पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन मि.सं. एल-110110/5/2021-ट्रेड-पार्ट(1)(ई-19215) का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

पशुपालन और डेयरी विभाग ने 21 जून, 2021 के अपने कार्यालय ज्ञापन में, क्षेत्रीय अधिकारियों/संगरोध अधिकारियों, पशु संगरोध और प्रमाणन सेवाओं (एक्यूसीएस) को कैट्स (डोमेस्टिक - फ़ेल्स कैट्स), फेलिड्स परिवार के अन्य सदस्य जैसे बाघों (पेंथेरा टाइग्रिस), शेरों (पेंथेरा लियो), स्नो लेपर्ड (पेंथेरा यूनिया), प्यूमा (प्यूमा एसपीपी) और गोरिल्ला (गोरिल्ला एसपीपी) को अन्य मौजूदा आवश्यकताओं के अलावा एक नकारात्मक कोविड-19 परीक्षण प्रतिवेदन (भारत में निर्यात से पहले 3 दिन से अधिक पुरानी नहीं) प्राप्त करने के बाद भारत में आयात के लिए अग्रिम अनापत्ति प्रमाण-पत्र/अंतिम (एक्यूसीएस) मंजूरी जारी करने का निर्देश दिया था।

9. वित्तीय सहायता

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान रु. 1125 लाख अर्थात् अनुदान सहायता (सामान्य): रु. 900 लाख + अनुदान सहायता (वेतन): रुपये 200 लाख + कैपा अनुदान: रु. 25 लाख प्राप्त हुए और प्राधिकरण के पास पिछले वर्ष के अनुदान की अव्ययित राशि रु. 7.76 लाख थी। कुल अनुदान रु. 1132.76 लाख में से केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण केवल रु. 1113.32 लाख का उपयोग कर सका और 31 मार्च, 2022 तक इसके पास रु. 19.44 लाख शेष थे।

9.1 चिड़ियाघरों में सुधार

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा नीचे दिए गए विवरण के अनुसार चिड़ियाघरों के सुधार हेतु जिसमें रेस्क्यू सेंटर्स का रखरखाव, संरक्षण प्रजनन, अनुसंधान और प्रशिक्षण आदि हेतु रु. 8,43,15,822/- जारी किए गए:-

क्र.	राज्य	नाम और चिड़ियाघर/संगठन का स्थान	उद्देश्य/शीर्षक	राशि रु. में
1.	मिजोरम	आइजोल जू मिजोरम	चिड़ियाघर में सुधार	2,61,000
2.		अरिग्नार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, चेन्नई	रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन	18,26,000

3.	तमिलनाडु	अरिग्नार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, चेन्नई	संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	22,37,000
4.		अरिग्नार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, चेन्नई	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	2,50,000
5.		अरिग्नार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, चेन्नई	चिड़ियाघर में सुधार	4,80,000
6.		अरिग्नार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, चेन्नई	चिड़ियाघर में सुधार	31,80,000
7.		अरिग्नार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, चेन्नई	संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	19,49,000
8.	असम	असम स्टेट जू कम बोटैनिकल गार्डन, गुवाहाटी	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	2,00,000
9.		असम स्टेट जू कम बोटैनिकल गार्डन, गुवाहाटी	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	50,000
10.		असम स्टेट जू कम बोटैनिकल गार्डन, गुवाहाटी	चिड़ियाघर में सुधार	9,45,000
11.	कर्नाटक	चिल्ड्रेन पार्क कम मिनी जू, गदग	चिड़ियाघर में सुधार	2,40,000
12.	उत्तर प्रदेश	इटावा सफारी पार्क, इटावा	चिड़ियाघर में सुधार	2,50,000
13.		इटावा सफारी पार्क, इटावा	चिड़ियाघर में सुधार	1,00,000
14.	ओडिशा	हरिशंकर डीयर पार्क	चिड़ियाघर में सुधार	1,00,000
15.	आंध्र प्रदेश	इंदिरा गाँधी जूलॉजिकल पार्क, विशाखापत्तनम	रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेसन	16,38,000
16.		इंदिरा गाँधी जूलॉजिकल पार्क, विशाखापत्तनम	संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	10,25,000
17.		इंदिरा गाँधी जूलॉजिकल पार्क, विशाखापत्तनम	संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	10,25,000
18.		इंदिरा गाँधी जूलॉजिकल पार्क, विशाखापत्तनम	चिड़ियाघर में सुधार	48,000
19.		इंदिरा गाँधी जूलॉजिकल पार्क, विशाखापत्तनम	चिड़ियाघर में सुधार	10,00,000
20.		इंदिरा गाँधी जूलॉजिकल पार्क, विशाखापत्तनम	चिड़ियाघर में सुधार	67,00,000
21.	उत्तर प्रदेश	आईवीआरआई, इज्जतनगर, बरेली	अनुसंधान	8,88,000

22.	पश्चिम बंगाल	जंगल महल जूलॉजिकल पार्क, झारग्राम	चिड़ियाघर में सुधार	3,72,000
23.	तेलंगाना	काकतीय जूलॉजिकल पार्क, वारांगल	चिड़ियाघर में सुधार	3,48,000
24.		काकतीय जूलॉजिकल पार्क, वारांगल	चिड़ियाघर में सुधार	20,00,000
25.	मध्य प्रदेश	कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय, इंदौर	चिड़ियाघर में सुधार	12,000
26.	छत्तीसगढ़	कानन पेण्डारी प्राणी उद्यान, बिलासपुर	चिड़ियाघर में सुधार	3,00,000
27.	तेलंगाना	लैकोन्स, सीसीएमबी, हैदराबाद	अनुसंधान	15,47,000
28.	उत्तर प्रदेश	लॉयन ब्रीडिंग सेंटर एण्ड मल्टीपल सफारी पार्क, इटावा	चिड़ियाघर में सुधार	1,80,000
29.	केरल	एमवीआर स्नेक पार्क एण्ड जू, परस्सीनिकडवु	चिड़ियाघर में सुधार	90,000
30.	नागालैंड	नागालैंड जूलॉजिकल पार्क, रंगापहाड़, दीमापुर	संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	5,04,000
31.	ओडिशा	नंदनकानन बायोलॉजिकल पार्क, भुवनेश्वर	संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	15,50,000
32.		नंदनकानन बायोलॉजिकल पार्क, भुवनेश्वर	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	2,50,000
33.		नंदनकानन बायोलॉजिकल पार्क, भुवनेश्वर	चिड़ियाघर में सुधार	2,40,000
34.		नंदनकानन बायोलॉजिकल पार्क, भुवनेश्वर	चिड़ियाघर में सुधार	40,00,000
35.		नंदनकानन बायोलॉजिकल पार्क, भुवनेश्वर	चिड़ियाघर में सुधार	4,00,000
36.	तेलंगाना	नेहरू जूलॉजिकल पार्क, हैदराबाद	संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	27,71,000
37.		नेहरू जूलॉजिकल पार्क, हैदराबाद	संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	27,71,000
38.		नेहरू जूलॉजिकल पार्क, हैदराबाद	चिड़ियाघर में सुधार	48,000
39.		नेहरू जूलॉजिकल पार्क, हैदराबाद	चिड़ियाघर में सुधार	45,00,000

40.		नेहरू जूलॉजिकल पार्क, हैदराबाद	मास्टर प्लान बनाना	4,00,000
41.	पश्चिम बंगाल	पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जीलिंग	पर्यावरण संवर्धन	3,30,000
42.		पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जीलिंग	पशु-चिकित्सा उपकरण	19,92,000
43.	केरल	परस्सीनिकडवु स्नेक पार्क एण्ड जू	चिड़ियाघर में सुधार	1,00,000
44.	कर्नाटक	पिलिकुला बायोलॉजिकल पार्क, मैंगलोर	संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	21,07,000
45.	उत्तराखण्ड	पण्डित जी.बी. पन्त उच्च स्थलीय चिड़ियाघर, नैनीताल	चिड़ियाघर में सुधार	12,00,000
46.		पण्डित जी.बी. पन्त उच्च स्थलीय चिड़ियाघर, नैनीताल	चिड़ियाघर में सुधार	1,08,000
47.		पण्डित जी.बी. पन्त उच्च स्थलीय चिड़ियाघर, नैनीताल	चिड़ियाघर में सुधार	95,000
48.	आंध्र प्रदेश	श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क, तिरुपति	रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन	28,50,000
49.		श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क, तिरुपति	संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	8,26,000
50.		श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क, तिरुपति	चिड़ियाघर में सुधार	4,00,000
51.		श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क, तिरुपति	चिड़ियाघर में सुधार	7,98,000
52.	गुजरात	सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क, केवडिया	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	26,16,274
53.		सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क, केवडिया	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	19,84,548
54.	त्रिपुरा	सिपाहीजला जूलॉजिकल पार्क, त्रिपुरा	संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	67,37,000
55.	कर्नाटक	श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल गार्डन, मैसुरु	चिड़ियाघर में सुधार	10,44,000
56.		श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल गार्डन, मैसुरु	चिड़ियाघर में सुधार	25,00,000
57.		श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क,	चिड़ियाघर में सुधार	8,26,000

		तिरूपति		
58.	आंध्र प्रदेश	श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क, तिरूपति	चिड़ियाघर में सुधार	7,00,000
59.		श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क, तिरूपति	चिड़ियाघर में सुधार	30,00,000
60.	केरल	तिरुवनंतपुरम जू	चिड़ियाघर में सुधार	1,74,000
61.	मध्य प्रदेश	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान चिड़ियाघर, भोपाल	रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन	8,83,000
62.		वन विहार राष्ट्रीय उद्यान चिड़ियाघर, भोपाल	चिड़ियाघर में सुधार	2,00,000
63.		वन विहार राष्ट्रीय उद्यान चिड़ियाघर, भोपाल	संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	57,20,000
64.		वन विहार राष्ट्रीय उद्यान चिड़ियाघर, भोपाल	चिड़ियाघर में सुधार	1,50,000
65.	हरियाणा	गिद्ध संरक्षण प्रजनन केन्द्र, पिंजौर	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	3,00,000
कुल				8,43,15,822

9.2 बचाव केंद्रों को जारी अनुदान

भारत सरकार ने 14 अक्टूबर, 1998 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से भारत में सर्कस में शेरों, बाघों, तेंदुओं, भालू एवं बंदरों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगाने का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति की भावना को ध्यान में रखते हुए इन वन्यजीवों हेतु अनुकूल रखरखाव, आवास और स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करना था। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को इन वन्यजीवों को रेस्क्यू करने और उनके पुनर्वास की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। उस समय सर्कस से बचाए गए शेरों, बाघों, तेंदुओं, भालू एवं बंदरों की संख्या क्रमशः 375, 96, 21, 37 और 20 थी। इन रेस्क्यूड वन्यजीवों के आवास और रखरखाव की आवश्यकताओं और देश के मौजूदा चिड़ियाघरों में ऐसी सुविधाओं की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, देश भर में इन वन्यजीवों हेतु अलग सुविधाएँ स्थापित करने का विचार किया गया था।

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने 9 वन्यजीवों के आवास वाले चार रेस्क्यू सेंटर्स के संचालन और रख-रखाव हेतु निम्न सारणीबद्ध चिड़ियाघरों को वित्तीय अनुदान प्रदान कर रहा है। इन वन्यजीवों के चारे, रख-रखाव और स्वास्थ्य देखभाल हेतु अनुदान दिया जा रहा है। इस संबंध में निर्धारित मानकों एवं मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने 4 रेस्क्यू सेंटर्स के रख-रखाव, चारा और दवा आदि के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार रू. 71,97,000/- की राशि प्रदान की है:-

क्र.	चिड़ियाघर का नाम	शीर्ष	2021-22 में जारी अनुदान (रु.)
1.	अरिग्नार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, चेन्नई, तमिलनाडु	रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन	18,26,000
2.	इंदिरा गाँधी जूलॉजिकल पार्क, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश	रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन	16,38,000
3.	श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क, तिरुपति, आंध्र प्रदेश	रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन	28,50,000
4.	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल, मध्य प्रदेश	रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन	8,83,000
कुल			71,97,000

10. वार्षिक लेखा एवं लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2021-22 के खातों का लेखा परीक्षण, प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वैज्ञानिक विभाग, भारत सरकार द्वारा किया गया है। 31 मार्च, 2022 तक खातों का तुलन पत्र, आय एवं व्यय खाते, प्राप्ति व भुगतान अनुसूचियों के साथ **अनुलग्नक I व II** में दिए गए हैं:-

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2022 तक तुलन-पत्र की स्थिति

(राशि रू. में)

कोष/पूँजी कोष और देयताएँ	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कोष/पूँजी कोष	1	2,08,13,892.00	1,94,62,920.00
रक्षित एवं अधिशेष	2	—	—
निर्धारित/अक्षय निधि	3	—	—
सुरक्षित ऋण और उधारी	4	—	—
असुरक्षित ऋण और उधारी	5	—	—
आस्थगित ऋण देनदारियाँ	6	—	—
चालू देनदारियाँ और प्रावधान	7	41,64,439.00	28,75,028.00
योग		2,49,78,331.00	2,23,37,948.00
सम्पत्तियाँ			
अचल सम्पत्तियाँ	8	68,76,739.00	85,86,555.00
निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश	9	—	—
निवेश —अन्य	10	—	—
चालू सम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	11	1,81,01,592.00	1,37,51,393.00
विविध व्यय (उस सीमा तक जिसे बट्टे में डाला या समायोजित नहीं किया गया है)			
कुल		2,49,78,331.00	2,23,37,948.00
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	24		
आकस्मिक देयताएँ एवं लेखों के संबंध में टिप्पणियाँ	25		

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम: केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
आय एवं व्यय
31.03.2022 को समाप्त वर्ष का खाता

(राशि रू. में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बिक्रियों/सेवाओं से प्राप्त आय	12		
अनुदान/सब्सिडी	13	11,21,07,572.00	7,65,05,450.00
शुल्क/अंशदान	14	14,00,000.00	7,15,002.00
निवेशों से आय (निर्धारित/अक्षय निधि निवेश पर आय)	15	—	—
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	—	—
अर्जित ब्याज	17	3,76,619.00	4,81,505.00
अन्य आय	18	30.00	330.00
तैयार माल एवं प्रगतिगत कार्यों में वृद्धि/कमी	19	—	—
कुल (क)		11,38,84,221.00	7,77,02,287.00
व्यय			
स्थापना व्यय	20	1,85,65,654.00	1,52,60,367.00
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	1,55,11,131.00	1,34,06,085.00
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22	7,62,30,000.00	4,28,89,762.00
ब्याज	23	—	—
मूल्यहास (वर्ष के अंत में शुद्ध योग-अनुसूची 8)	8	22,26,464.00	15,72,681.00
कुल (ख)		11,25,33,249.00	7,31,28,895.00
व्यय के संबंध में अधिक आय (क-ख)		13,50,972.00	45,73,392.00
विशेष रक्षित निधि का स्थानांतरण (विवरण)		—	—
सामान्य रक्षित निधि को/से स्थानांतरण		—	—
अधिशेष को निधि/पूँजीगत निधि में लाया जा रहा है		13,50,972.00	45,73,392.00
घाटा होने के कारण शेष राशि को निधि/पूँजीगत निधि में लाया जा रहा है		—	—
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	24		
आकस्मिक देयताएँ और लेखा पर टिप्पणी	25		

वित्तीय विवरण का प्रारूप

(गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम: केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण

वर्ष/अवधि की समाप्ति (31.03.2022) पर प्राप्तियाँ एव भुगतान

(राशि रु. में)

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I. प्रारंभिक राशि			I. व्यय	—	—
(क) हस्तगत रोकड़	—	—	(क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के अनुरूप)	1,88,31,675	1,40,17,152
अग्रदाय	15,000	15,000			
(ख) बैंक शेष	.	.	(ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21 के अनुरूप)	66,43,232	93,50,093
(i) बचत खाते में —स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	1,33,16,243	1,22,37,207			
(ii) बचत खाते में — यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2,058	—			
(iii) चालू खाते में	—	—			
II. प्राप्त अनुदान			II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के प्रति किए गए भुगतान		
(क) भारत सरकार द्वारा	11,00,00,000	7,19,26,392	(निधि अथवा परियोजना के नाम को प्रत्येक परियोजना के संबंध में की गई अदायियों के ब्यौरों के साथ दर्शाया जाना चाहिए)		
(ख) राज्य सरकार द्वारा	—	—			

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(ग) अन्य स्रोतों से (विवरण) – कैम्पा निधि	25,00,000	–	(i) चिड़ियाघरों के लिए सहायता अनुदान	7,62,30,000	4,28,89,762
(पूँजी और राजस्व व्यय के लिए अनुदानों को अलग से दर्शाया जाए)	–	–	(ii) चिड़ियाघरों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन	4,22,362	1,37,608
			(iii) अनुसंधान परियोजना	24,35,000	31,46,000
			(iv) प्रशिक्षण कार्यशाला सम्मेलन	39,79,792	7,78,815
			(v) कैम्पा निधि पर खर्च	25,00,000	–
			(vi) शिक्षा और जागरूकता	–	–
			(vii) बंद चिड़ियाघरों के लिए अनुग्रही अदायगी	–	–
			(viii) वन्यजीवों का स्थानांतरण	–	–
III. निम्न से निवेशों पर आय			III. किए गए विनिवेश और जमाएँ		
चिन्हित/अक्षय निधि	–	–	(क) चिन्हित/अक्षय निधि से भिन्न		–
स्व निधियाँ (अन्य निवेश)	–	–	(ख) स्व निधियों से भिन्न (निवेश अन्य)		–
IV. प्राप्त ब्याज			IV. अचल सम्पत्तियों एवं कार्यशील पूँजी पर व्यय		
(क) बैंक जमा राशियों पर – स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	4,12,477	4,09,203		7,14,977	46,77,256

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(ख) बैंक जमा राशियों पर – यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	6,49,166	96,075	(क) अचल सम्पत्तियों का क्रय		
(ग) ऋण, अग्रिम आदि	–	94,500	(ख) कार्यशील पूंजी पर व्यय – निकासी को अग्रिम भुगतान	–	–
V. अन्य आय विवरण			V. अधिशेष धन/ऋण की वापसी		–
(क) मान्यता को लागू करने से चिड़ियाघरों से प्राप्त फीस	13,30,000	5,85,002	(क) भारत सरकार को	–	6,020
(ख) आर.टी.आई. के अधीन आवेदन से प्राप्त शुल्क	30	330	(ख) राज्य सरकार को	–	–
(ग) सेमीनार/कार्यक्रम शुल्क/वापसी योग्य व्यय	–	–	(ग) निधियों के अन्य प्रदायकों को	–	–
VI. उधारी राशि	–	–	VI. वित्त प्रभार (ब्याज) – बैंक ब्याज वापसी	5,97,535	4,86,943
VII. कोई अन्य प्राप्तियाँ (ब्यौरा दें)			VII. अन्य भुगतान (उल्लेख करें)		
(क) विविध प्राप्तियाँ	86,111	41,842	(क) टीडीएस का भुगतान	13,22,926	27,85,436
(ख) चिड़ियाघर द्वारा वापसी सहायता अनुदान का अप्रयुक्त शेष	7,75,897	26,97,831	(ख) सुरक्षा जमा (जारी)	1,00,000	–
(ग) कार/स्कूटर अग्रिम पर ब्याज	–	–	(ग) समायोज्य राशि (अन्य विभागों द्वारा) – एनबीडब्ल्यूएल बैठक व्यय	–	–

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(घ) सुरक्षा जमा राशि	1,00,000	—	(घ) कर्मचारियों को अग्रिम	1,79,640	15,000
(ड) व्यय हेतु अग्रिमों की वसूली	20,000	5,05,128	(ड) अन्य विभागों को भुगतान (बिलों के भुगतान से वसूली)	16,38,886	5,61,920
(च) टीडीएस की वसूली	13,22,926	27,85,436	(च) खरीद के लिए अग्रिम भुगतान	—	—
(छ) स्टाफ अग्रिम के संबंध में वसूली	61,356	62,356	(छ) पीएम केयर फण्ड के लिए भुगतान	—	41,842
(ज) लाइसेंस शुल्क	—	—	(ज) नवीकरण के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को भुगतान	—	—
(झ) वेतनवसूली सम्पत्तियों की अन्य विभाग ब्रिकी से आय द्वारा समायोजन	16,38,886	5,61,920	(झ) पूर्वदत्त खर्च हेतु भुगतान	—	—
(ञ) सेल प्रोसिड ऑफ एसेट्स (पुराना वाहन)	1,12,218	—	(ञ) मान्यता के आवेदन के साथ चिड़ियाघर से प्राप्त फीस वापसी	—	—
(ट) अव्ययित जीआईए	—	—	(ट) आर.टी.आई फीस वापसी	—	—
(ठ) वापस प्राप्त अवकाश वेतन एवं पेंशन अशंदान	1,55,704	2,08,926			
(ड) अन्य संगठनों के खर्चों की रसीद	—	—			
—वन्यजीव सप्ताह समारोह	—	—			
— मुद्रण एवं प्रकाशन के संबंध में	5,99,998	—			

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(ढ) मंत्रालय से खर्चों की प्रतिपूर्ति	—	—			
(ड) प्रतिनियुक्तों की पेंशन एवं सामान्य भविष्य निधि हेतु प्रेषण	—	—	VIII. अंत शेष		
(ट) टेलिफोन सिक्क्योरिटी की वापसी	—	—	(क) हस्तगत रोकड़		
			अग्रदाय	15,000	15,000
			(ख) बैंक शेष	—	—
			बचत खाते में — स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	1,26,21,318	1,33,16,243
			बचत खाते में — यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	48,65,727	2,058
			चालू खाते में	—	—
कुल	13,30,98,070	9,22,27,148	कुल	13,30,98,070	9,22,27,148

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2022 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची प्रारूप का भाग

(राशि रू. में)

अनुसूची 1 – आधारभूत निधि/पूँजी निधि	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के प्रारंभ में शेष	1,94,62,920.00	1,47,36,969.00
जोड़ें: आधारभूत निधि/केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण निधि के संबंध में अंशदान	—	—
जोड़ें: आय एवं व्यय खाते में स्थानांतरित शुद्ध आय का शेष	13,50,972.00	45,73,392.00
घटाए: शुद्ध आय का शेष – आय एवं व्यय खाते से स्थानांतरित	—	—
कमी: छोटे/अतिरिक्त प्रावधान/पूर्व अवधि मद	—	1,52,559.00
वर्ष के अंत में शेष	2,08,13,892.00	1,94,62,920.00

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2022 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची प्रारूप का भाग

(राशि रु. में)

अनुसूची 2 – भण्डार और अधिशेष	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. संपत्ति कोष				
पिछले खातों के मुताबिक	—		—	
वर्ष के दौरान वृद्धि	—		—	
कमी: वर्ष के दौरान कटौती	—	—	—	—
2. पुनर्मूल्यांकन कोष				
पिछले खातों के मुताबिक	—		—	
वर्ष के दौरान वृद्धि	—		—	
कमी: वर्ष के दौरान कटौती	—	—	—	—
3. विशेष कोष				
पिछले खातों के मुताबिक	—		—	
वर्ष के दौरान वृद्धि	—		—	
कमी: वर्ष के दौरान कटौती	—	—	—	—
4. सामान्य कोष				
पिछले खातों के मुताबिक	—		—	
वर्ष के दौरान वृद्धि	—		—	
कमी: वर्ष के दौरान कटौती	—	—	—	—
कुल		—		—

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2022 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची प्रारूप का भाग

(राशि रु. में)

अनुसूची 3 – निर्धारित/अक्षय निधि	निधिवार विच्छेद			कुल		
	निधि ww	निधि xx	निधि yy	निधि zz	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अ) निधि का प्रारंभिक शेष	-	-	-	-	-	-
ब) निधि के अलावा	-	-	-	-	-	-
क) दान	-	-	-	-	-	-
ख) निधि के निवेश से प्राप्त आय	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य वृद्धियां (विवरण दें)	-	-	-	-	-	-
कुल (अ+ब)	-	-	-	-	-	-
स) निधियों का उद्देश्यों की दिशा में उपयोग व्यय						
क) पूंजीगत व्यय						
– अचल संपत्तियां	-	-	-	-	-	-
– अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-
ख) राजस्व व्यय						
– वेतन मजदूरी और भत्ते	-	-	-	-	-	-
– किराया	-	-	-	-	-	-
– अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-	-	-
कुल (स)	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शुद्ध शेष (अ+ब-स)	-	-	-	-	-	-

टिप्पणियाँ:-

1. अनुदान से जुड़ी शर्तों के आधार पर, संबंधित मद का प्रकटीकरण किया जाएगा।
2. केन्द्रीय/राज्य सरकार से प्राप्त योजनागत निधि को अलग निधि के रूप में दर्शाया जाए एवं दूसरी निधियों के साथ न मिलाया जाए।

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2022 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची प्रारूप का भाग

(राशि रु.में)

अनुसूची 4 – सुरक्षित ऋण और उधारी	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. केन्द्र सरकार		—		—
2. राज्य सरकार		—		—
3. वित्तीय संस्था				
क) सावधि ऋण	—		—	
– अर्जित और देय ब्याज	—	—	—	—
4. बैंक				
क) सावधि ऋण	—		—	
– अर्जित और देय ब्याज	—	—	—	—
ख) अन्य ऋण (विवरण दें)	—		—	
– अर्जित और देय ब्याज	—	—	—	—
5. अन्य संस्थाएँ और अभिकरण		—		—
6. डिबेंचर और बॉण्ड		—		—
7. अन्य (विवरण दें)		—		—
योग		—		—

नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि ।

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
 इकाई का नाम – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची प्रारूप का भाग
 अनुसूची 5 – असुरक्षित ऋण और उधारी

(राशि रु.में)

अनुसूची 5 – असुरक्षित ऋण और उधारी	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. केन्द्र सरकार	—	—
2. राज्य सरकार	—	—
3. वित्तीय संस्थान	—	—
4. बैंक	—	—
क) सावधि ऋण	—	—
ख) अन्य ऋण	—	—
5. अन्य संस्थाएँ और अभिकरण	—	—
6. डिबेचर एवं बॉण्ड	—	—
7. सावधि जमा	—	—
8. अन्य (विवरण दें)	—	—
योग	—	—

नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि।

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2022 की स्थिति के अनुसार तुलनापत्र की अनुसूची प्रारूप का भाग

(राशि रू. में)

अनुसूची 6 – आस्थगित ऋण देनदारियाँ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) पूंजी उपकरणों और अन्य सम्पत्तियों से बंधक स्वीकृतियाँ और	—	—
ख) अन्य	—	—
योग	—	—

नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि।

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2022 के अनुसार तुलन-पत्र अनुसूची प्रारूप का भाग

(राशि रु. में)

अनुसूची 7 – चालू देयताएँ एवं प्रावधान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अ. चालू देयताएँ		
1. स्वीकृत बिल		
2. विविध लेनदारः	—	—
क) लाभ के लिए	—	—
ख) अन्य (वाजा हेतु खर्च)	—	—
3. अर्जित ब्याज परंतु देय नहीं	—	—
क) सुरक्षित ऋण/उधार राशियाँ	—	—
ख) असुरक्षित ऋण/उधार राशियाँ	—	—
4. अन्य चालू देयताएं – UBI S/B A/C से ब्याज प्राप्त	86,263	50
क) अव्ययित सहायता अनुदान	11,68,325	—
ख) वन्यजीव सप्ताह समारोह की बकाया राशि	—	—
ग) वापसी योग्य सुरक्षा राशि	1,55,000	1,55,000
कुल (क)	14,09,588	1,55,050
ब. प्रावधान		
1. कराधान हेतु	—	—
2. आनुतोषिक एवं समय-समय पर मिलने वाले अन्य लाभ	11,11,000	5,11,000
3. सेवा-निवृत्ति/पेंशन	—	—
क) सेवा-निवृत्ति योजना के लिए अंशदान	—	—
4. वाहन चलाने हेतु देय/अन्य प्रतिबद्ध व्यय	1,544	11,230
5. व्यापार वारंटी/दावे – देय सदस्यता शुल्क	63,099	—
6. अन्य (विवरण दें) – देय वेतन आदि	14,87,783	13,07,274
7. देय टेलीफोन व्यय	3,065	3,236
8. अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान	—	7,65,828
9. देय यात्रा भत्ता परिचालन	—	—
10. देय लेखा-परीक्षा शुल्क	86,990	—
11. देय एलटीसी विशेष नकद पैकेज	—	1,19,760
12. देय अधि-समय भत्ता	1,370	1,650
कुल (ब)	27,54,851	27,19,978
कुल (अ + ब)	41,64,439	28,75,028

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2022 के अनुसार तुलन-पत्र अनुसूची प्रारूप का भाग
अनुसूची 8 – अचल सम्पत्तियाँ

(राशि रु. में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यहास				शुद्ध ब्लॉक		
	वर्ष के प्रारंभ में लागत / मूल्य (क)	वर्ष के दौरान में परिवर्धन (ख)		वर्ष के अंत में लागत / मूल्य (घ)	मूल्यहास दर : (ङ)	वर्ष के शुरु में परिसम्पत्तियों पर (च)	वर्ष के दौरान में परिवर्धनों पर (छ)		वर्ष के अंत में कुल योग (झ)	चालू वर्ष के अंत में (घ-झ)	पिछले वर्ष के अंत तक
		04/20-09/20	10/20-03/21				04/20-09/20	10/20-03/21			
मूर्त संपत्ति											
कम्प्यूटर / कम्प्यूटर से जुड़ा	8,09,929	2,19,948		10,02,564	40	3,23,972	43,990		3,54,649	6,47,915	8,09,929
फर्नीचर, जुड़नार	21,29,431	4,28,352		24,85,672	10	2,12,943	21,418		8,01,827	16,83,845	21,29,431
कार्यालय उपकरण	12,20,220	49,990		12,70,210	15	1,83,033	3,749		1,86,782	10,83,428	12,20,220
वाहन	9,40,127			8,27,909	15	2,61,760			2,64,451	5,63,458	9,40,127
अमूर्त संपत्ति											
वेबसाइट विकास	28,43,580			28,43,580	25		3,55,448		3,55,448	24,88,132	28,43,580
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	6,43,268	30,000		6,73,268	40	2,57,307	6,000		2,63,307	4,09,961	6,43,268
चालू वर्ष के लिए योग	85,86,555	7,28,290		91,03,203		12,39,015	4,30,605		22,26,464	68,76,739	85,86,555
पिछला वर्ष	54,81,980	15,18,334	31,58,922	1,01,59,236		13,79,719	38,617		15,72,661	85,86,555	54,81,980

टिप्पणी: वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित निर्धारण वर्ष 2018-19 से लागू आयकर अधिनियम के तहत मूल्यहास की दरें लागू।

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2022 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची प्रारूप का भाग

(राशि रू. में)

अनुसूची 9 – निर्धारित/अक्षय निधि से निवेश	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	—	—
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	—	—
3. शेयर	—	—
4. डिबेंचर और बॉण्ड	—	—
5. सहायक कंपनियाँ और संयुक्त उपक्रम	—	—
6. अन्य (विवरण दें)	—	—
योग (अ)	—	—

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2022 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची प्रारूप का भाग

(राशि रू. में)

अनुसूची 10 – अन्य निवेश	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	—	—
2. अन्य मान्यता प्राप्त प्रतिभूतियाँ	—	—
3. शेयर	—	—
4. डिबेंचर एवं बॉण्ड	—	—
5. सहायक कंपनियाँ और संयुक्त उपक्रम	—	—
6. अन्य (विवरण दें)	—	—
योग	—	—

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2022 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग

(राशि रु. में)

अनुसूची 11 – चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क. चालू परिसम्पत्तियाँ		
1. वस्तु सूची:		
क) सामान एवं पुर्जे	—	—
ख) खुले औजार	—	—
ग) स्टॉक-इन-ट्रेड		
तैयार माल	—	—
कार्य प्रगति	—	—
कच्चा माल	—	—
2. विविध देनदार:		
क) छः माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण	—	—
ख) अन्य	—	—
3. हस्तगत नकदी शेष (चेक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित)	—	—
हस्तगत नकदी	—	—
अग्रदाय	15,000	15,000
4. बैंक शेष		
क) अनुसूचित बैंकों में :		
— जमा खाते पर (मार्जिन राशि सहित)		
— बचत खाते पर (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया)	48,65,727	2,058
— बचत खाते पर (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया)	1,26,21,318	1,33,16,243
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में:		
— चालू खातों पर	—	—
— जमा खातों पर	—	—
— बचत खातों पर	—	—
5. डाक घर बचत खाता	—	—
कुल (क)	1,75,02,045	1,33,33,301

वित्तीय विवरण
(गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2022 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग
अनुसूची 11 – चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि (जारी)

(राशि रु. में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसम्पत्तियां		
1. ऋण		
क) कर्मचारी	1,65,115	2,26,471
ख) अन्य संस्थाएँ जो उस संस्था के सदृश कार्यकलापों/उद्देश्यों में लगे हैं	—	—
ग) अन्य (विवरण दें)	—	—
2. नकदी में वसूली अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए अग्रिम एवं अन्य राशियाँ	1,74,640	15,000
क) पूँजी खाते पर	—	—
ख) पूर्व अदायगियाँ	—	—
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रतिपूर्ति	—	—
एनआईएससीआई (निक्सी) को कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर हेतु अग्रिम भुगतान	—	—
सीपीडब्ल्यूडी को पुनरुद्धार हेतु अग्रिम भुगतान	—	—
पेट्रोल खाता हेतु सुरक्षा जमा राशि	15,000	15,000
पूर्वदत्त व्यय	—	—
3. अर्जित आय:		
क) चिन्हित/अक्षय निधियों से निवेशों पर	—	—
ख) अन्य निवेशों पर	—	—
ग) ऋण एवं अग्रिम पर	—	—
घ) अन्य (अप्राप्त देय आय शामिल है) अर्जित ब्याज	5,614	6,890
4. प्राप्य दावे – चिड़ियाघरों की मान्यता के लिए शुल्क	2,00,000	1,30,000
5. स्टेशनरी एवं डाक भण्डार	39,178	24,731
योग (ख)	5,99,547	4,18,092
योग (क+ख)	1,81,01,592	1,37,51,393

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2022 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची प्रारूप का भाग

(राशि रू. में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 12 – बिक्री/सेवाओं से आय		
1. बिक्री से आय		
क) तैयार माल की बिक्री	-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-
ग) रद्दी माल की बिक्री	-	-
2. सेवाओं से आय		
क) श्रम एवं प्रसंस्करण शुल्क	-	-
ख) पेशेवर/परामर्श शुल्क	-	-
ग) अभिकरण कमीशन एवं ब्रोकरेज	-	-
घ) रखरखाव सेवाएँ (उपकरण/संपत्ति)	-	-
ङ) अन्य (विवरण दें)	-	-
योग	-	-

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2022 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग

(राशि रू. में)

अनुसूची – 13 अनुदान/सब्सिडी	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(प्राप्त अपरिवर्तनीय अनुदान एवं सब्सिडी)		
1. केन्द्र सरकार	10,88,31,675	7,19,26,392
2. राज्य सरकारें	—	—
3. सरकारी अभिकरण (कैम्पा निधि)	25,00,000	—
4. संस्थान/कल्याण संस्थाएँ	—	—
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	—	—
6. अन्य (विवरण दें) – सार्क से अनुदान	—	—
योग	11,13,31,675	7,19,26,392
चिड़ियाघरों से प्राप्त गत वर्ष का अप्रयुक्त शेष	7,75,897	18,87,247
वर्ष 2021-22 के दौरान चिड़ियाघरों द्वारा वापस की गई अनुदान राशि की अव्ययित शेष का पुनर्वेधीकरण	—	26,91,811
कुल योग	11,21,07,572	7,65,05,450

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2022 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग

(राशि रू. में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची – 14 शुल्क/अंशदान		
1. प्रवेश शुल्क	—	—
2. वार्षिक शुल्क/अंशदान	—	—
3. संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क (वाज़ा पंजीकरण शुल्क)	—	—
4. परामर्श शुल्क	—	—
5. अन्य (विवरण दें)	—	—
क) मान्यता/नवीकरण के लिए आवेदन के साथ चिड़ियाघरों से प्राप्त	14,00,000	7,15,002
कुल	14,00,000	7,15,002

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2022 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग

(राशि रू. में)

अनुसूची – 15 निवेश से आय	निर्धारित कोष से निवेश		अन्य निवेश	
	चालू	पिछला	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
चिन्हित/अक्षय निधियों के निवेश से आय (निधियों में हस्तांतरित)				
1. ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख) अन्य बॉण्ड/डिबेन्चर पर	-	-	-	-
2. लाभांश				
क) शेयर पर	-	-	-	-
ख) म्युच्युल फण्ड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य (विवरण दें)	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
चिन्हित/अक्षय निधियों को हस्तांतरित	-	-	-	-

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2022 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग

(राशि रू. में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची – 16 रॉयल्टी और प्रकाशन आदि से आय		
1. रॉयल्टी से आय	—	—
2. प्रकाशन से आय	—	—
3. अन्य (विवरण दें)	—	—
योग	—	—

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2022 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग

(राशि रू. में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची – 17 सावधि जमा/बचत खातों/ऋण पर अर्जित ब्याज		
1. सावधि जमा पर:		
क) अनुसूचित बैंक के साथ	—	—
ख) गैर-अनुसूचित बैंक के साथ	—	—
ग) संस्थान के साथ	—	—
घ) अन्य	—	—
2. बचत खातों पर:		
क) अनुसूचित बैंक के साथ	—	—
ख) गैर-अनुसूचित बैंक के साथ	3,76,619	3,87,005
ग) डाकघर बचत खाता	—	—
घ) अन्य	—	—
3. ऋण पर:		
क) कर्मचारी	—	94,500
ख) अन्य	—	—
4. देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	—	—
योग	3,76,619	4,81,505

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
 इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
 31.03.2022 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग

(राशि रू. में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची – 18 अन्य आय		
1. परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ:	—	—
क) स्वामित्व वाली परिसम्पत्ति	—	—
ख) अनुदान से सृजित परिसम्पत्ति या निःशुल्क प्राप्त परिसम्पत्ति	—	—
2. वसूले गए निर्यात प्रोत्साहन	—	—
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क (आरटीआई)	30.00	330.00
4. विविध आय	—	—
योग	30.00	330.00

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2022 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग

(राशि रू. में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची – 19 तैयार माल के भण्डार में वृद्धि/कमी और कार्य प्रगति		
क) अंतिम रहतिया		
– तैयार माल	–	–
– प्रगतिगत कार्य	–	–
ख) आरंभिक रहतिया		
– तैयार माल	–	–
– प्रगतिगत कार्य	–	–
शुद्ध वृद्धि /कमी (क- ख)	–	–

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2022 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग

(राशि रू. में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची – 20 स्थापना व्यय		
क) वेतन और मजदूरी	1,65,05,317	1,26,98,906
ख) भत्ता और बोनस	1,41,559	—
ग) भविष्य निधि में अंशदान	1,19,446	1,07,656
घ) अन्य निधियों में अंशदान (विवरण)	—	—
सेवा-निवृत्ति योजना	7,06,441	6,40,270
ड) कर्मचारी कल्याण व्यय	4,96,215	6,25,873
च) कर्मचारी सेवानिवृत्ति एवं सेवांत लाभ पर व्यय	6,00,000	5,11,000
	—	—
छ) अन्य (विवरण दें) – एलटीसी नकद पैकैज	56,198	1,19,760
छुट्टी वेतन एवं पेंशन अंशदान	52,874	5,56,902
योग	1,85,65,654	1,52,60,367

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2022 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग

(राशि रु. में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची – 21 अन्य प्रशासनिक व्यय आदि		
क) क्रय (स्टेशनरी)	2,05,855	3,66,494
ख) वाहन एवं ढुलाई	41,113	5,590
ग) मरम्मत एवं रखरखाव (सामान्य + कम्प्यूटर)	74,493	4,130
घ) वाहन संचालन व्यय	3,30,748	3,70,866
ड.) वाहन रखरखाव	1,22,693	71,298
च) डाक, टेलिफोन एवं संचार व्यय	66,204	73,824
छ) मुद्रण, प्रकाशन और पत्रिकाएँ	5,72,312	9,97,972
ज) यात्रा व्यय	4,92,378	1,81,342
झ) विधिक एवं पेशेवर व्यय	19,826	1,11,340
ञ) आतिथ्य व्यय	1,42,624	1,16,871
ट) विज्ञापन एवं प्रचार	—	93,125
ठ) लेखा परीक्षा शुल्क	1,01,990	—
ड) अन्य (विवरण दें) आउटसोर्स कर्मचारी वेतन	36,12,811	65,27,828
ढ) बैंक शुल्क	—	3,897
ण) अन्य व्यय	14,950	21,629
त) सदस्यता शुल्क	64,928	4,29,782
थ) किराया, दर एवं कर	—	—
द) अनुपयोगी सम्पत्तियों की बिक्री/निपटान पर घाटा	—	—
ध) इमारत मरम्मत एवं रखरखाव	3,11,052	—
योग (I)	61,73,977	93,75,988
II विभिन्न परियोजनाओं के लिए भुगतान		
प्रशिक्षण, कार्यशाला और सम्मेलनों पर व्यय	39,79,792	7,78,815
कैम्पा निधि अनुदान पर व्यय	25,00,000	
अनुसंधान परियोजनाओं पर व्यय	24,35,000	31,46,000
चिड़ियाघरों की निगरानी और मूल्यांकन	4,22,362	1,05,282
बंद मोबाइल चिड़ियाघरों के लिए अनुग्रह-राशि का भुगतान	—	—

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची – 21 अन्य प्रशासनिक व्यय आदि		
वन्यजीवों का परिवहन	–	–
योग (II)	93,37,154	40,30,097
III मंत्रालय को वापसी योग्य सहायता अनुदान की अव्ययित शेष राशि	–	–
योग (I+II)	1,55,11,131	1,34,06,085

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
 इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
 31.03.2022 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग
 अनुसूची – 22 अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय

(राशि रू. में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची – 22 अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय		
क. संस्थानों/संगठनों को दिया गया अनुदान		
विभिन्न चिड़ियाघरों को जारी अनुदान	7,62,30,000.00	4,28,89,762.00
मंत्रालय को वापसी योग्य अप्रयुक्त सहायता अनुदान	—	—
ख संस्थानों/संगठनों को दी गई सब्सिडी	—	—
योग	7,62,30,000.00	4,28,89,762.00

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2022 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग

(राशि रू. में)

अनुसूची – 23 ऋणों /निर्धारित ऋण पर ब्याज	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ऋणों /निर्धारित ऋण पर ब्याज		
क) निर्धारित ऋणों पर		
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक शुल्क सहित)	—	—
ग) अन्य (विवरण दें)	—	—
योग	—	—

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2022 की स्थिति अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग
अनुसूची – 24 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

1. लेखाकरण का आधार

वित्तीय विवरण प्रोद्भवन के आधार पर ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के तहत तैयार किए जाते हैं और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन पद्धतियों के अनुसार होते हैं।

2 अचल सम्पत्तियाँ

अचल सम्पत्तियाँ अधिग्रहण की लागत पर निश्चित होती है, जिनमें उनके अधिग्रहण घटा संचित मूल्यह्रास से संबंधित भाड़ा, शुल्क एवं कर शामिल हैं।

3.मूल्यह्रास

अचल सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास आयकर अधिनियम में प्रदान की गई दरों पर लिखित मूल्य पर प्रदान किया जाता है। सितम्बर के बाद अर्जित संपत्ति का मूल्यह्रास एक परिसम्पत्ति के लिए निर्धारित मूल्यह्रास की दर के आधे पर किया गया है।

4.सामान्य

लेखांकन नीतियों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है अन्यथा आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन प्रथाओं के अनुरूप हैं।

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)

इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण

अनुसूची – 25 आकस्मिक देयताएं एवं लेखों पर टिप्पणीकरण

31.03.2022 की स्थिति अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग

- 1. आकस्मिक देयताएँ**

संस्था के प्रति दावों को ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता – शून्य (पूर्ववर्ती वर्ष शून्य) ।
- 2. पूँजी प्रतिबद्धताएँ**

पूँजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष अनुबंधों के अनुमानित मूल्य प्रदान नहीं किया गया (अग्रिमों का शुद्ध) –शून्य (पूर्ववर्ती वर्ष शून्य)।
- 3. चालू परिसम्पत्तियों, ऋण एवं अग्रिम**

प्रबंधन की राय में, चालू परिसम्पत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों का व्यवसाय के सामान्य क्रम में वसूली पर मूल्य होता है, जो कम से कम तुलन-पत्र में दर्शाई गई कुल राशि के बराबर होता है।
- 4.** पिछले वर्ष के तदनुसूची आँकड़ों को जहाँ कहीं भी आवश्यक हुआ, पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
- 5.** अनुसूची 1 से 25 (सलग्न), 31 मार्च, 2022 को तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाते का एक अभिन्न अंग है।
- 6.** विभिन्न चिड़ियाघरों और अन्य संगठनों को जारी की गई राशि को उस वर्ष के व्यय के रूप में शामिल किया गया है जिसमें इसे जारी किया गया था।
- 7.** अचल संपत्तियों पर मूल्यहास समय-समय पर संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित दरों पर लगाया गया था। "वेबसाइट का विकास" लेखा-परीक्षा उदाहरण पर अचल संपत्ति-अमूर्त संपत्ति के तहत बनाया गया है। हालाँकि, इस योजना के तहत वर्ष के शुरुआत में मूल्यहास प्रदान नहीं किया जा सका क्योंकि वेबसाइट बनाई गई थी परन्तु चालू वित्तीय वर्ष में अक्टूबर, 2021 में प्रमाणित किया गया।
- 8.** यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जमा केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सहायता अनुदान से अर्जित ब्याज को चालू वित्त वर्ष के दौरान वेतन लेखा कार्यालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है। हालाँकि, 31.03.2022 तक अर्जित ब्याज रु. 86,213/- को अप्रैल, 2022 में घनादेश संख्या 129488 दिनांक 18.04.2022 के माध्यम से भुगतान किया गया।
- 9.** लेखा वर्ष के दौरान अचल संपत्ति का निपटान और वस्तुओं की बिक्री के विरुद्ध शुद्ध लाभ या हानि वित्तीय वर्ष के तुलन-पत्र को उपयुक्त बनाने के लिए लेखांकित थी।
- 10.** वर्ष 2021-22 के लिए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सहायता अनुदान के विरुद्ध दिनांक 31.03.2022 तक रु. 11.68 लाख की अव्ययित शेष राशि का अनंतिम उपयोगिता प्रमाण-पत्र लेखा-परीक्षा जाँच के अधीन मार्च, 2022 के वेतन संवितरण के समायोजन हेतु प्रस्तुत किया गया।

768077/2022/CZA

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग, नई दिल्ली 110002

DGA/ESD/EA/SAR/240/CZA/2021-22/ 378

दिनांक

सेवा में,

30 SEP 2022

Member Secretary,
Central Zoo Authority(CZA),
B-1 Wing 6th Floor,
Pandit Deendayal Antyodaya Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi- 110 003

विषय: **Separate Audit Report on the Accounts of Central Zoo Authority (CZA), New Delhi for the year 2021-22**

महोदय,

मुझे वर्ष 2021-22 के लिए Central Zoo Authority (CZA), New Delhi का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने से पहले वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखों को संस्थान के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया/अपनाया जाए तथा इस संबंध में शासी निकाय द्वारा जारी किया गया रेजोल्यूशन ऑडिट को भेजा जाए। प्रत्येक दस्तावेज जो संसद में प्रस्तुत किया जाए उसकी तीन प्रतियाँ इस कार्यालय तथा दो प्रतियाँ भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को अग्रेषित की जाए। संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने की तिथियाँ भी इस कार्यालय को सूचित की जाए।

भवदीय,

संलग्नक:- पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

[Signature]
उप निदेशक (पर्या.ले.)

Very Important.
FO
31/8/22

**Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on
the Accounts of Central Zoo Authority, New Delhi for the year ended 31
March, 2022**

We have audited the attached Balance Sheet of Central Zoo Authority (CZA), New Delhi, as at 31st March 2022, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 38E of the Wildlife (Protection) Act, 1972. These financial statements are the responsibility of the CZA's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This draft Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, in conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/ CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material mis-statements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

- (i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- (ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance.
- (iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the CZA as required under Section 38E of the Wildlife (Protection) Act, 1972 in so far as it appears from our examination of such books.
- (iv) We further report that -

(A) Balance Sheet

1. Liabilities

1.1 Current Liabilities and Provisions (Schedule -7) Rs. 41.64 lakh

768077/2022/CZA

1.1.1 CZA had an unspent balance of grant of Rs.19.44 lakh¹ as on 31 March 2022 whereas mentioned the same as Rs.11.68 lakh in Schedule 7- Current Liabilities and Provisions. This resulted in understatement of current liabilities by Rs.7.76 lakh.

1.1.2 CZA during 2021-22 made a provision of Rs. 0.87 lakh for Audit Fees payable for the years 2019-20 and 2020-21 which, as per the information available with CZA, should have been Rs.3.95 lakh. This resulted in understatement of current liabilities and provisions by Rs.3.08 lakh.

1.1.3 As envisaged in Uniform Format of Accounts prescribed by Ministry of Finance and Accounting Standard 15 issued by ICAI, a reliable estimate of provision for retirement benefits are to be made on accrual basis based on actuarial valuation considering the factors such as future increase in salaries, present value of defined benefit obligations, etc. CZA did not get done any actuarial evaluation of the required provisions for Gratuity and leave encashment of its employees and simply made a provision of Rs.11.11 lakh as at 31 March 2022 based on the current salaries and completed years of service of its staff. This resulted in unrealistic provisioning of its liabilities.

(B) Income & Expenditure Account**1. Expenditure****1.1 Other Administrative Expenses etc. (Schedule- 21) Rs.155.11 lakh**

Membership fee of Rs.1.61 lakh to World Association of Zoos and Aquariums (WAZA) for the period April to December 2021 paid in March 2021 was reported as expenditure of FY 2020-21 instead of FY 2021-22. This resulted in understatement of expenditure during 2021-22 by Rs.1.61 lakh.

(C) Grants-in-Aid

CZA received grant in aid of Rs.1125 lakh² during the year and it had unspent balance of grant of previous year amounting to Rs.7.76 lakh³. Out of the total grant of Rs.1132.76 lakh, CZA could utilise a sum of Rs.1113.32⁴ lakh leaving a balance of Rs.19.44 lakh as unutilised grant as on 31 March 2022.

(D) General

Nil.

¹ Grant-in-aid received during 2021-22: Rs.1125 lakh (General: Rs.900 lakh + Salaries: Rs.200 lakh + CAMPA: Rs.25 lakh) + Unspent balance of last years received from zoos: Rs.7.76 lakh – Grants utilized: Rs.1113.32 lakh (General: Rs.900 lakh + Salaries: Rs.188.32 lakh + CAMPA: Rs.25 lakh)

² Grant-in-aid General: Rs.900 lakh + Grant-in-aid Salaries: Rs.200 lakh + CAMPA Grant: Rs.25 lakh

³ Unspent balance of last years received from zoos

⁴ Rs.900 lakh under Grant-in-aid General + Rs.188.32 lakh under Grant-in-aid Salaries + Rs.25 lakh under CAMPA Grant

768077/2022/CZA

(E) Management Letter

Nil.


(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated the other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

(a) In so far as it related to the Balance Sheet, of the state of affairs of the CZA, as at 31 March 2022,

(b) In as far as it related to Income and Expenditure Accounts, of surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the C&AG of India



Director General of Audit
(Environment & Scientific Departments)

Place: New Delhi

Date: 30/9/22

Internal Audit/ Control System**1. Adequacy of Internal Audit System**

CZA is audited by Internal Audit Wing of MoEF&CC. Latest Internal audit of CZA was conducted in February 2021, for the period of 2017-20. Internal audit up to March 2022 is pending. CZA has one, nine and nine pending paragraphs pertaining to Internal Audit Reports for the periods 2010-12, 2012-17 and 2017-20 respectively.

2. Adequacy of Internal control system

2.1 Persisting liability on account of Security Deposits due for refund: On scrutiny of Ledger/Annual Accounts of CZA for 2021-22 and reply (July 2022) furnished by CZA, Audit observed that Security Deposits amounting to Rs.0.55 lakh is lying due for refund for more than five years.

2.2 Rules 3, 4 and 8 of Recognition of Zoo Rules, 2009 provide for recognition of zoo under section 38 H of the Act for which a fee of Rs. 10000 through DD or Postal Order is required to be paid along with the application and for renewal of recognition an application is required to be made 3 months prior to the expiry of the period and fee payable for renewal would be Rs.5000.

During the scrutiny of records of CZA, it was observed that payments received from various zoo authorities on account of the recognition/ renewal before/after the expiry of validity period, were booked by CZA in its receipt book. CZA, on every RTGS/NEFT payments received through banks also took in the receipt book. Some of these receipts were booked from unknown sources and have been included in fees received from zoos. Since, the source of money received could not be traced, the actual details of the fees pertaining to particular zoo and validity period could not be reconciled by CZA itself. Similar issue was also reported during previous audit but CZA did not take corrective action.

2.3 Deficiencies in vouchers: On scrutiny of vouchers Audit observed that CZA had been preparing vouchers in the format of GAR 29–Fully Vouched Contingent Bill. No vouchers were made, instead the contingent bills were treated as vouchers in respect of payments made by CZA. Thus, the basic principle of preparing of vouchers is not being followed. Similar issue was also reported during previous audit but CZA did not take corrective action.

2.4 System of Physical Verification of Library books: As per Rule 215 (ii) General Financial Rules (GFR) 2017, loss of five volumes per one thousand volumes of books issued/consulted in a year may be taken as reasonable provided such losses are not attributable to dishonesty or negligence. However, loss of a book of a value exceeding Rs.1,000 and rare books irrespective of value shall invariably be investigated and appropriate action taken.

Audit observed that 41 books amounting to Rs.0.20 lakh are found to be missing. Out of these 41 books, 5 books are of individual value exceeding Rs.1000. This was found during physical verification of library books for 2020-21 and was reported during last audit. As per the findings of the physical verification of library books for 2021-22, these missing books are yet to be traced out.

768077/2022/CZA

3. System of physical verification of inventory

Physical verification of all consumable items of CZA stores has been conducted up to March 2022.

4. System of physical verification of Assets

Physical verification of all assets/non-consumable items at CZA has been conducted up to March 2022.


5. Regularity in payment of statutory dues

CZA is regular in payment of statutory dues except GST TDS. On scrutiny of vouchers and reply (July 2022) furnished by CZA. Audit observed that CZA is not deducting GST TDS from the vendors, where the total value of supply under a contract exceeds Rs.2.5 lakh, as per the extant GST provisions.


Dy. Director (EA)



Central Zoo Authority
केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण



CENTRAL ZOO AUTHORITY

B-1 Wing, 6th Floor,
Pt. Deen Dayal Antyodaya Bhawan,
CGO Complex, Pragati Vihar,
New Delhi, Delhi 110003
Phone: +91-011-24367851/52
Fax: +91-011-24367849
Email: cza@nic.in
Website: www.cza.nic.in



Central Zoo Authority
केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण

